स्मारिका 2003

उत्तरांचल

श्रम-संकल्प

गणतंत्र दिवस - 2003

श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण

राष्ट्र का औद्योगीकरण – उद्योगों का श्रमिकीकरण

भारतीय मजदूर संघ, उत्तरांचल

(हरीश तिवारी)
प्रदेश मन्त्री
भारतीय मजदूर संघ
उत्तरांचल

उत्तरांचल

श्रम–संकल्प

गणतंत्र दिवस

(२६ जनवरी, २००३)

संरक्षक

सुन्दर लाल उनियाल, देहरादून
डी.डी. शर्मा, काठगोदाम
कमलेश श्रीवास्तव, देहरादून
हरीश तिवारी, हरिद्वार

: सम्पादक :

एस.के. डबराल

सहयोग

कु० बसंती शाही, केवलानन्द सांगुड़ी, रमेश चन्द जोशी,
पूरन सिंह बिष्ट, सुरेन्द्र प्रसाद, विरेन्द्र देवरा

भारतीय मजदूर संघ, उत्तरांचल प्रदेश
३२, चकराता रोड, देहरादून दूरभाष : (०१३५) २६५०९१३

भारतमाता सम्बोधन है तप, त्याग, यज्ञ बलिदानों का।

उत्तरांचल के शहीदों के प्रति श्रद्धा-सुमन

भारतीय मजदूर संघ, उत्तरांचल प्रदेश के समस्त कार्यकर्त्ता,
उत्तरांचल आन्दोलन में शहीद अमर हुतात्मा बन्धुओं - बहिनों को
कोटि-कोटि नमन एवं श्रद्धा-सुमन अर्पित करते है।
उत्तरांचल वासी सदैव उनका स्मरण करते हुए
उनके बलिदान से प्रेरणा लेते रहेंगे।

भारतीय मज़दूर संघ, उत्तरांचल परिवार

दूसरों का डाला अंकुश गिराने वाला है, और अपना अंकुश उत्थानकारी है। मोहनदास कर्मचन्द गांधी

जीवन–मख में श्रम की हवि डालते चलो; झंझाओं में और प्रखर प्रज्वलित जलो, कृपा–पात्र साफल्य न सार्थक होता है, अपने ही श्रम से अजेय होकर निकलो।

– डॉ. श्री विलास डबराल 'विलास'

"पृथ्वीपुत्र"–सर्ग–2 "यात्रा" से साभार

हमेशा डरते रहने से अच्छा है कि खतरे का एक बार सामना कर लिया जाये–नीतिसूत्र

बची सिंह रावत
BACHI SINGH RAWAT

सत्यमेव जयते

राज्य मंत्री
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
भारत सरकार, नई दिल्ली-110003
MINISTER OF STATE FOR
SCIENCE & TECHNOLOGY
GOVERNMENT OF INDIA,
NEW DELHI-110003

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि श्रमिकों की सेवा के लिए समर्पित **भारतीय मजदूर संघ, उत्तरांचल, 32, चकराता रोड़, देहरादून, उत्तरांचल** पिछले कई वर्षों से बड़े उत्साह के साथ श्रमिकों की सेवा में जुटा है तथा संघ द्वारा गणतंत्र दिवस-2003 के उपलक्ष्य में " **उत्तरांचल श्रम-संकल्प** " नामक द्वितीय स्मारिका का प्रकाशन करने जा रहा है । आशा करता हूँ कि स्मारिका में उत्तरांचल के विकास की अपार संभावनाओं पर बुद्धिजीवियों के विचारों व लेखों के साथ-साथ अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक लेखों को भी समुचित स्थान दिया जाएगा ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि **भारतीय मजदूर संघ, उत्तरांचल** भविष्य में भी और अधिक उत्साह के साथ श्रमिकों की सेवा में समर्पित रहेगा तथा अपने समाज सेवा कार्यक्रम को जारी रखेगा और यह स्मारिका उसकी उपलब्धियों और कार्य-कलापों को जन-जन तक पहुंचाने में सफल होगी ।

भारतीय मजदूर संघ, उत्तरांचल के सभी कर्मचारियों/सदस्यों को नव वर्ष-2003 की हार्दिक शुभकामनाएं ।

(बची सिंह रावत)

हीरा सिंह बिष्ट

मंत्री

परिवहन, तकनीकी शिक्षा

श्रम, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण

उत्तरांचल सरकार

विधान भवन

देहरादून

दूरभाष : 665111 (कार्या०)

746285 (आवास)

फैक्स : 665880

दिनांक : ....

[illegible]

सन्देश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि भारतीय मजदूर संघ उत्तरांचल द्वारा प्रदेश की द्वितीय स्मारिका "उत्तरांचल श्रम संकल्प" गणतन्त्र दिवस २००३ के अवसर पर प्रकाशित की जा रही है ।

उत्तरांचल राज्य के समग्र विकास की अवधारणा को स्मारिका जन सामान्य तक पंहुचाने में सहायक सिद्ध होगी ऐसी अभिलाषा है ।

भारतीय मजदूर संघ उत्तरांचल द्वारा प्रकाशित की जाने वाली स्मारिका "उत्तरांचल श्रम संकल्प" के सफल प्रकाशन हेतु मेरी शुभकामनाएं ।

(हीरा सिंह बिष्ट)

मंत्री

परिवहन, तकनीकी शिक्षा,

श्रम, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण

उत्तरांचल शासन

प्रतिष्ठा मे,

श्री एम०के०डबराल

प्रदेश उपाध्यक्ष

भारतीय मजदूर संघ

३२, चकराता रोड

देहरादून ।

निवास : 15 सेवक आश्रम रोड, देहरादून (उत्तरांचल)

हरबंस कपूर

पूर्व राज्य मंत्री, उ०प्र०
पूर्व मंत्री, उत्तराञ्चल

सदस्य विधान सभा
उत्तराञ्चल

निवास :
41, खुड़बुड़ा, देहरादून
दूरभाष : 628322

कार्यालय :
21, सुभाष रोड, देहरादून
दूरभाष : 650112

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त हर्ष की अनुभूति हो रही है कि भारतीय-मजदूर संघ, उत्तरांचल प्रदेश द्वारा अपनी द्वितीय स्मारिका "उत्तरांचल श्रम-संकल्प" का प्रकाशन किया जा रहा है।

स्मारिका के सफल प्रकाशन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

विकासशील देशों में निश्चित विकास दर को प्राप्त करने के लिए श्रम शक्ति का रचनात्मक योगदान महत्वपूर्ण है, भारतीय मजदूर संघ सदैव राष्ट्रीय हित में श्रमशक्ति को संगठित करने का महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहा है, और यही कारण है कि भारतीय मजदूर संघ देश के सबसे बड़े मजदूर संगठन के रूप में आज प्रतिष्ठित है।

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि संगठन पूर्व की भांति भविष्य में भी जहां एक ओर तो राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते दूसरी ओर श्रमिकों के हितों के लिए संघर्षरत रहेगा।

नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

(हरबंस कपूर)
28.12.2002

सम्पादक की ओर से

"भारतीय मजदूर संघ" उत्तरांचल प्रदेश की यह द्वितीय स्मारिका आपके हाथों में है। प्रदेश भर से एवं प्रदेश के बाहर से भी मिले निरंतर सहयोग एवं प्रोत्साहन का ही यह सुफल कि संघ का यह दूसरा प्रयास एक बेहतर कलेवर, ज्ञानवर्धक एवं रोचक पठनीय सामग्री तथा आकर्षक विज्ञापनों को अपने में समाविष्ट किये हुए है।

भारतीय मजदूर संघ का मुख्य आधार 'भारतीयता' एक ऐसी जीवन पद्धति है जिसमें केवल गतिशीलता एवं नम्यता ही नहीं बल्कि विकल्प एवं ग्राह्यता भी है। इसी सार्वभौमिक सत्य के चलते, इस सूक्ष्म स्तर पर मेरा आग्रह, निवेदन एवं विश्वास कि सहृदय पाठक–गण, हमारे इस प्रयास की प्रकाशन सम्बन्धी अथवा सम्पादकीय त्रुटियों को अपनी उदारता से सहर्ष ग्राह्य करते हुए क्षमा करेंगे एवं हमारा मार्ग प्रशस्त हो इस निमित्त हमारा मनोबल बनाये रखेंगे।

भारतीय मजदूर संघ परिवार की ओर से सभी सहयोगियों का हृदय से धन्यवाद, आभार।

दिनांक 26 जनवरी, 2003
माघ कृष्ण नवमी, वि.सं. 2059

(एस.के. डबराल)
प्रदेश उपाध्यक्ष
भारतीय मजदूर संघ
उत्तरांचल

हिन्दी देश की एकता की कड़ी है–डॉ. जाकिर हुसैन

महामंत्री की ओर से

मान्यवर,

राष्ट्रीयता का अभिप्राय औद्योगिक एवं श्रमिक जगत के संदर्भ में श्रमिकों एवं नियोक्ताओं का राष्ट्र की प्रगति एवं समृद्धि के प्रति सम्पूर्ण प्रतिबद्धता से है। औद्योगिक सम्बन्ध मात्र दो पक्षों, मालिक एवं मजदूर तक ही सीमित नहीं है। इसमें राष्ट्र तीसरा एवं अधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। यह सत्य है कि नियोक्ता एवं श्रमिक, औद्योगिक उत्पादन में दो साझेदार हैं किन्तु, जब ये दोनों पक्ष सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया से गुजरते हुए, समझौते करते हैं तो ये समझौते केवल मालिक और मजदूर के आपसी तात्कालिक मुद्दों तक ही सीमित नहीं रहने चाहिए बल्कि वे राष्ट्र केहित को ध्यान में रखते हुए किये जाने चाहिए और इसके लिए उपभोक्ता का हित, राष्ट्रहित की ओर ले जाने वाली पहली सीढ़ी है, यह ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है।

भारतीय मजदूर संघ किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध नहीं है। भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता राजनीतिक चुनाव भी नहीं लड़ता है। लेकिन आज समाज में अने चुनावी भाषणों के माध्यम से जाति, पंथ, धर्म, सम्प्रदाय की बात कर समाज को विघटित कर रहे हैं जो हमारी राष्ट्रीय एकता को बेहद कमजोर कर रहा है। इसलिए आज राष्ट्रीय हित में इस प्रकार के विघटनकारी विचारों को समाज में फैलने से रोकने की महति आवश्यकता है। भारतीय मजदूर संघ सदैव से इस दिशा में समाज को शिक्षित एवं जागरूक करता आ रहा है।

मुझे विश्वास है कि कठिन परिश्रम, कार्य के प्रति समर्पण अपनी कार्य–संस्कृति का विकास एवं अपनी धार्मिक पृष्ठभूमि के साथ–साथ राष्ट्रीयता की भावना का बोध सफलता के नये आयाम स्थापित करने वाले महत्वपूर्ण घटक हैं और इनका पालन हमें प्रतिपल करना होगा, तभी हम सच्चे अर्थों में एक राष्ट्रवादी ध्येयवादी संगठन के कार्यकर्ता कहलाये जायेंगे।

धन्यवाद

आपका
डी.डी. शर्मा
महासचिव
भारतीय मजदूर संघ, उत्तरांचल

प्रयत्न बगैर सब असंभव है, यत्न और मुक्ति से सब संभव है–योग वशिष्ठ

संघ नेतृत्व की दूरगामी सोच ही भा.म.सं. की सफलता का कारण

मा.श्रीदत्तोपंत ठेंगड़ी

● भामसं. को समझना है तो रा.स्व. संघ और संघ के उद्गाता डा. हैडगेवार को समझना आवश्यक है

● संघ स्थापना से पूर्व क्रान्तिकारी आंदोलन के अध्ययन के लिए डा. जी कलकत्ता गये थे। वहां उन्होने क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख संगठन अनुशीलन समिति के अध्यक्ष श्री चक्रवर्ती से 1916 में संघ स्थापना की अवश्यकता प्रकट की थी ताकि राष्ट्र भक्ति से ओत-प्रोत हिन्दु समाज स्वाभिमान से जीवन जीने योग्य बन सके

● डा. जी को Bio focal Vision प्राप्त था इसी कारण उन्होने स्वतंत्रता प्राप्ति तात्कालिक एवं विश्व पटल से साम्राज्य वाद समाप्त कर भारत के परम वैभव का दूरगामी लक्ष्य तय किया था। इसका अनुमान लगाना भी आज सरल नहीं क्योंकि उन दिनों यही सोचा जा रहा था कि पूंजीवाद का अंत साम्यवाद करेगा, हिन्दुत्व नहीं

● अत्यन्त छोटी लगने वाली शाखा के माध्यम से सम्पूर्ण हिन्दू समाज को संगठित करने का काम डा. जी ने आजीवन किया

● पूज्य गुरू जी ने कहा कि संघ कुछ नहीं करेगा किन्तु कोई काम संघ के बिना होगा नहीं। सभी उपक्रम स्वयं सेवक करेगा

● संघ की पहले से सोची सोच का प्रकटीकरण-विस्फोट मात्र हो रहा है, विकास नहीं इसे स्पष्टतः से हमें समझना है

● संपूर्ण समाज ही संघ है। शेष अनुसांधिक संगठन, सूर्यमण्डल के अनुशासित संगठन के समान Trans Missin Belt सौरभमंडल नहीं

● संघ का शेष अनुसाधित कार्यो पर Phisical-control नहीं अपितु स्वंयसेवक व्यक्ति रूप में आवश्यकतानुसार, समाज जीवन में जाकर संघ अनुरूप कार्य आरम्भ करेगा

● संघ के Wings स्वयंसेवक हैं अनुसांधिक उपक्रम नहीं। संघ बेजोड़ संगठन होने से इसका पर्यायवाची शब्द ही नहीं है।

● संघ तथा अनुसांधिक उपक्रम एक ही Vision है- संघ के अंग प्रत्यंग Part & Parcle नहीं - यह सब एक ही है

● चन्द्रमा का प्रकाश सर्वदूर होने का अर्थ चन्द्रमा एवं किरण एक ही हैं। चन्द्रमा में पूर्णता है - किरण इसका बढ़ता हुआ प्रकाश है यह एक दूसरे के पूरक नहीं, संपूर्ण एक ही हैं, अंग प्रत्यंग नहीं

● संघ परिवार की संपूर्ण संघ सष्टि, पहले से सोचे Vision का Progressive unfoldment है पहले पीछे टुकड़ों में सोच विचार नहीं

● अनुसांधिक कार्य में हम अपने आपको मात्र समन्वयक नहीं अपितु संघ गणनायक माने अतः देश व समाज के हित में अपने संगठन की हानि को स्वीकारने में भी प्रसन्नता अनुभव करने का अपना स्वभाव बनायें

आहिस्ता चलने से नहीं, सिर्फ चुपचाप खड़े रहने से डर-चीनी कहावत

• 1925 में डा. जी द्वारा सोची सोच vision का पुनः स्मरण मात्र पूज्य गुरूजी ने 'थाना' के अभ्यास वर्ग में करवाया था - त्रिविध पंथ पहला संघ कुछ नहीं करेगा, दूसरा संघ स्वंय सेवक कोई काम छोड़ेगा नहीं, तीसरा संघ स्वयंसेवक दैनिक शाखा में आयेगा। इस त्रिविध पथ्य में संघ ने कार्य विस्तार की रीति-नीति, पद्धति, वायुमण्डल तथा जीवन पद्धति आदि सभी कुछ बातें हमें बतलाई हैं

• पीतल के बर्तन को जैसे मैला होने पर नित्य मंजाई करनी पड़ती है वैसे ही दूषित वायुमण्डल में स्वंयसेवक भी प्रभावित होता है अतः दैनिक शाखा में उपस्थिति से हमें भी अपने आपको सुसंस्कारित बनाये रखने की पहले दिन से आवश्यकता बतलायी गयी है

• मेरे पिताजी के मित्र INTUC नेता ने मुझे INTUC में आकर काम करने का प्रस्ताव किया किन्तु पूज्य गुरूजी की अनुमति से ही मैं INTUC तथा AITUC में ट्रेड यूनियन का काम सीखने के लिए तथा डा. अम्बेडकर के साथ उनके द्वितीय श्रेणी के कार्यकर्ताओं के साथ सम्बन्ध बनाने एवं मित्र बनाने के लिए गया

• गुरूजी का स्पष्ट आदेश था कि इन क्षेत्रों में नेता न बनकर केवल अपने अनुकूल लोग ढूंढने का काम करना है

• गुरूजी का अप्रत्यक्ष रूप से मजदूर आंदोलन से सम्बन्ध तो आया ही था। पहला मार्गदर्शन इंदौर कपड़ा मिल हड़ताल में एक पहलवान नेता के भूख हड़ताल पर बैठने का था जब मुझे कुछ भी जानकारी न होते हुए वहां भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए भेजा। मैं, न केवल भूख हड़ताल तुड़वाने बल्कि 13 में 7 मांगे मनवाने में यशस्वी हो पाया था

• मुम्बई की कपड़ा मजदूर हड़ताल में भी शक्ति न होते हुए भा.म.सं. मजदूर क्षेत्र से Isolate न हो पावे, इसी हेतु से उनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप ही HMS नेता एन.एम. जोशी से मिलकर एटक नेता डांगे को सफल न होने देने में हमें सफलता मिल सकी

• संघ संपूर्ण हिन्दू समाज का संगठन है जिसमें कम्यूनिस्ट, समाजवादी एवं कांग्रेसी भी शामिल हैं। इसलिए मैं संघ का सरसंघ चालक होते हुए संघ के स्वयंसेवकों को केवल भामसं. सदस्य बनने के लिए आह्वान नहीं कर सकता। यह स्पष्टीकरण गुरूजी ने बैंकिग उद्योग में स्वयं सेवकों को भामसं. सदस्य बनाने का सुझाव दिया

• सरकारी कर्मचारियों की पहली हड़ताल के समय 1960 तक भामसं. का उसमें प्रवेश नहीं हो पाया था। तो भी इस क्षेत्र में भामसं. का दखल बनाये रखने के उद्देश्य से ही उन्होने एक वक्तव्य दिया कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल का अधिकार तो होना ही चाहिए किंतु यह दायित्व सरकार का है वह ऐसा Macheism विकसित करें ताकि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने की आवश्यकता न पड़े

लंबे समय तक श्री गुरूजी के उपलब्ध निकटस्थ मार्गदर्शन से ही भामसं. की प्रगति हुई है। इस संबंध में अन्य भी अनेक उदाहरणों का उल्लेख किया जा सकता है।

बेकार की चीजों को जानना, कुछ भी न जानने से बेहतर है-सेनीका।

अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के धन्यवाद कार्यक्रम दिनांक 4 फरवरी, 2003 के अवसर पर प्रधानमंत्री निवास दिल्ली में श्री अटल बिहारी बाजपेयी के उद्‌बोधन भाषण का सार

धन्यवाद समारोह में उपस्थित मानव संसाधन मंत्री डा. मुरली मनोहर जोशी, विदेश संचार राज्य मंत्री श्रीमती सुमित्रा महाजन, राजकृष्ण भक्त जी, आंगनबाड़ी महासंघ की अध्यक्ष, महामंत्री, देश के विभिन्न प्रान्तों से आयी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिकाएं, भा.म.सं. के वरिष्ठ पदाधिकारी, पत्रकार बंधुओं,– मैं आपका आभारी हूं कि आप सुदूर आंचलों से मेरे आंगन में मुझे बधाई देने आये। इस घर को मैने आंगन कहा है। आंगन, आंगनबाड़ी से जुड़ा है। हम भी सरकारी आंगन में निवास नहीं प्रवास कर रहे हैं। वैसे भी मैं मकान मालिक नहीं हूं, बनना भी नहीं चाहता, हो भी नहीं सकता। पता नहीं कब जाना पड़े। कुछ अच्छा कार्य करके जायें, यह हमारी दिली अभिलाषा है। आपसे मिलकर अत्यन्त खुशी हुई देश के बच्चों की देखरेख, पोषण, स्वास्थ्य, कल्याण की चिंता व तकलीफों का ध्यान रखना आपका कार्य है। आप इस कार्य में लगी हैं। अच्छी बात है। जैसा डा. जोशी ने कहा कि इस राष्ट्रीय सामाजिक कार्य के बदले आपको जो मानदेय मिलता है, वह मजूरी नहीं, मेहनताना नहीं, मैं तो उसे अमूल्य सेवा के बदले मैं प्रसाद या दक्षिणा मानता हूं। और मुझे खुशी है कि आपकी दक्षिणा मैं दोगुनी वृद्धि हुई। जो आपको अप्रैल 2002 से मिलेगी। जिसे मैं थोड़ी ही कहूंगा। क्योंकि महंगाई भी बढ़ी है, वस्तुओं के दाम भी बढ़े हैं। सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को बढ़ी हुई महंगाई के आधार पर महंगाई भत्ता मिलता है। क्योंकि आप सरकारी नौकरी में नहीं हैं तथा समाज सेवा के कार्य में लगी हैं इसलिए आपके लिए मापदण्ड दूसरा है। अब वह समय गया कि जन्म से लेकर मरण तक सारा काम सरकार करेगी। रहे होटल में, मरे अस्पताल में, तो जिन्दगी क्या हुई। परिवार छोटे–बड़े होते हैं उनमें आपसी स्नेह का सम्बन्ध होता है। परिवार–जन एक दूसरे के सुख–दुख के साथी होते हैं। इसलिए प्रयत्न हुआ कि परिवार ठीक प्रकार चलते रहें। आपकी स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ। इसलिए मेरे अतिरिक्त डा. मुरली मनोहर जोशी एवं सुमित्रा महाजन का योगदान ज्यादा है, लेकिन नाम मेरा लिया जा रहा है। क्योंकि मैं आगे–आगे हूं। फैसला हम सबने मिलकर किया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे आंगन में इतने लोग धन्यवाद देने आयेंगे। गिरीश अवस्थी जी (सहमहामंत्री भा.म.सं.) कह रहे थे कि आपने यदि थोड़ा समय और दिया होता तो इससे कई गुना अधिक लोग आते। चलिए, ठीक है, आगे वह समय भी आयेगा। आप जो कार्य करती हैं, उनका महत्व अपने आप में अलग प्रकार का है। आंगनबाड़ी केन्द्र गांव का आकर्षण केन्द्र होता है। आप गांव के केन्द्र बनें। आप केन्द्रों में बच्चों को बुलाती हैं। वह केवल बुलावा नहीं, उसमें अपनत्व एवं स्नेह होना चाहिए। बच्चों के साथ–साथ गांव के परिवार–जनों के सुख–दुख के साथी एवं देखभाल में सहयोगी बनें। आपमें समाजसेवा का भाव निर्माण होना चाहिए। आपकी सेवा अमूल्य है। इसका मूल्य चुकाया नहीं जा सकता। आप भावी पीढ़ी का निर्माण दूसरी माँ के रूप में करती हैं। आपके द्वारा तीन

करोड़ चौरानबे लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। अभी हो सकता है कि आपके लिए केन्द्रों की समस्या हो। पेड़ के नीचे बैठना पड़ता होगा बरसात की भी समस्या रहती होगी। लेकिन इसका भी हल निकाला जायेगा। सुमित्रा महाजन ने हमें ध्यान दिलाया है कि सांसदों को प्रति वर्ष मिलने वाली धनराशि के मद में आंगनबाड़ी कक्ष निर्माण को भी शामिल किया जाये। गांव में ऐसे केन्द्रों के निर्माण से आंगनबाड़ी कार्य के अतिरिक्त इनका उपयोग शादी विवाह, उत्सव इत्यादि के लिए भी हो सकता है। मैं ससंद में इस सुझाव को रखूंगा। देखते हैं, पुरूष भाई कितना मानते हैं, वैसे डा. जोशी जी का सहारा है मुझे। दो करोड़ रूपये कम नही होते। उसे योजनाबद्ध व ठीक प्रकार से खर्च किया जाना चाहिए। हमारे देश में पैसे की कोई कमी नहीं है, सही ढंग से खर्च हो रहा है या नहीं यह देखा जाना चाहिए। हमें चार साल पहले पता नहीं था। लेकिन हम अब पता लगा सकते हैं। मिलने वाली राशि में भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नही होनी चाहिए। समाज का पैसा ईमानदारी से खर्च होना चाहिए। हम जैसा चाहते हैं वैसा हो नहीं रहा है। आज भी लड़की के साथ न्याय नहीं हो रहा है। मां बाप लड़की को पढ़ाने में संकोच कर रहे हैं। सोचते हैं, जब इसकी शादी होगी तो जो इसके भाग्य में होगा, देखा जायेगा। लड़के–लड़की में फर्क नहीं होना चाहिए। यदि मां पढ़ी लिखी होगी तो बच्चे भी पढ़ेंगे और सस्कारित होंगे। ये काम मां ही कर सकती है। अभी भी हमारे यहां लड़की पैदा होने पर जीवित नही रहने देते। लड़कियों की संख्या कम हो रही है कई प्रदेशों में लड़कियों का अनुपात कम हो रहा है। लड़के–लड़कियों का अनुपात 50:50 होना चाहिए। भगवान पैदा करता है लेकिन इंसान जिन्दा नहीं रहने देते। इसके लिए सरकार कानून बना रही है। घर में लड़की पैदा होने पर मायूस नहीं, आनन्दित होना चाहिए। ऐसा ही सवाल टीके का है। अस्पतालों में टीके उपलब्ध हैं लेकिन लगेंगे नहीं। इसमें भी आपको सहायता करनी होगी, ध्यान रखना पड़ेगा। चीन के बाद हमारी जनसंख्या अधिक है। 6 वर्ष तक के बच्चों की चिंता आपको करनी है, उसके बाद स्वास्थ्य व शिक्षा की चिंता समाज करेगा। यह देखना भी आपकी जिम्मेदारी है। सबको मिल–जुल कर काम करना होगा। आज सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। भारत आप लोगों के परिश्रम से बनेगा। गांवों में एक दूसरे की चिंता कौन करता है। यह मनोवृत्ति बदलनी होगी। किसी भी प्रकार की समस्या का हल अपने व समाज स्तर पर करना, निराकरण नहीं होने पर सरकार के सामने दृढ़ता से अपना पक्ष रखना होगा। हम सब अपने कर्तव्यों, जिम्मेदारियों का ध्यान रखें और किसी के साथ अन्याय न हो दोनों की चिंता साथ–साथ करनी होगी। आंगनबाड़ी आंदोलन पुराना है। लगभग 27 वर्ष। आपकी 12 लाख की सेना यदि किसी देश पर हमला करेगी तो फिर कोई बच नहीं सकता। मेरे आंगन में आने के लिए एक बार धन्यवाद देता हूं।

"जय जवान" "जय किसान" "जय विज्ञान"

संकलनकर्ता
केवलानन्द सांगुड़ी
उद्योग प्रभारी असंगठित व आंगनबाड़ी क्षेत्र उत्तरांचल

देश की रक्षा पहला काम–सबको काम बाँधो दाम।

प्रदेश कार्यालय
भारतीय मजदूर संघ उत्तरांचल
32 चकराता रोड, देहरादून, दूरभाष 2650913

भारतीय मज़दूर संघ उत्तरांचल प्रदेश कार्यसमिति

क्रमांक	पद	नाम	पता
1.	अध्यक्ष	श्री सुन्दरलाल उनियाल	21 अज़बपुर खुर्द देहरादून दूरभाष : 2627002
2.	उपाध्यक्ष	श्री एस.के. डबराल	45/2 कैनाल रोड के.सी. पब्लिक स्कूल के सामने जाखन देहरादून : 2734744, मोबाइल 9837277079
3.	उपाध्यक्ष	कु0 बसन्ती शाही	बाल विकास एवं पुष्टाहार केन्द्र, गर्म पानी जिला नैनीताल दूरभाषः 05942–245582
4.	महामन्त्री	श्री डी.डी. शर्मा	श्रमिक बस्ती शीशमहल काठगोदाम, जिला नैनीताल दूरभाषः 05946–280841
5.	मन्त्री	श्री कमलेश श्रीवास्तव	भारतीय मज़दूर संघ कार्यालय 32 चकराता रोड़, देहरादून दूरभाष : 0135–2650913(कार्या.) 2677288(नि0)
6.	मन्त्री	श्री हरीश तिवारी	क्वार्टर नं. 817 टाईप–2 सेक्टर–3 बी.एच.ई.एल. रानीपुर हरिद्वार दूरभाष : 0134–222104
7.	वित्त मन्त्री	श्री सुरेन्द्र प्रसाद	चीनी मिल कालोनी काशीपुर जिला उद्यमसिंहनगर, दूरभाष : 05947–279187
8.	सदस्य	श्री रमेश चन्द जोशी	6/49 तल्ली बमौरी, मुखानी हल्द्वानी जिला नैनीताल, दूरभाष : 05946–225962

सहनशील होना अच्छी बात है परन्तु अन्याय का विरोध करना उससे भी उत्तम है। जयशंकर प्रसाद

9.	सदस्य	श्री अमरेन्द्र नारायण मेहता	ए–1611 आई.डी.पी.एल वीरभद्र ऋषिकेश जिला देहरादून दूरभाष : 0135–2450742
10.	सदस्य	श्री केवलानन्द सांगुडी	ए–166 एच.एम.टी. कालोनी अमृतपुर (रानीबाग) जिला नैनीताल दूरभाष – 05946–228196
11.	सदस्य	श्रीमती निशा सक्सेना	सेवा प्रबन्धक कार्यालय, परिवहन निगम काठगोदाम, नैनीताल दूरभाष : 05946–222010(कार्य0) 234235
12.	सदस्य	पूरण सिंह बिष्ट	सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय उ0प्र0 परिवहन निगम अल्मोड़ा, दूरभाष : 234511(कार्य0) 233547(नि0)
13.	आमंत्रित सदस्य	श्री महिनारायण झा	क्वार्टर नं. 147 टाईप–3 सेक्टर–1, बी.एच.ई.एल रानीपुर हरिद्वार दूरभाष : 0134–2320967
14.	आमंत्रित सदस्य	श्री लक्ष्मीप्रसाद जायसवाल	ई0–2/ए अपर रेलवे कालोनी देहरादून–248001, दूरभाष : 0135–2621588, 2773694

चरित्र के बीज बोकर, उद्देश्य की फसल काट लो।

उद्योग-समूह प्रमुख

श्री सुन्दर लाल उनियाल
सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ (केन्द्र एवं राज्य सरकार कर्मचारी)
एवं
स्वायत शासी उद्योग

श्री एस० के० डबराल
वित्तीय संस्थायें। बैंक, बीमा, ग्रामीण बैंक उद्योग

श्री डी० डी० भार्मा
परिवहन, विधुत, जल संस्थान, जल निगम, वन निगम, ऊर्जा निगम, अनुसूचित जनजाति, निगम, कुमाऊँ गढवाल मण्डल विकास निगम, कर्मचारी कल्याण निगम एवं जलागम उद्योग

श्री सुरेन्द्र प्रसाद
निजीक्षेत्र इंजिनियरिंग
शुगर, दुकान, स्कूल

श्री अमरेन्द्र नारायण मेहता
सार्वजनिक प्रतिष्ठान भारतीय खादय निगम स्वदेशी जागरण/पर्यावरण ।

श्री केवलानन्द सांगुडी
असंगठित क्षेत्र एवं आगनबाडी
कु० बसन्ती शाही एवं श्रीमती निशा सक्सेना
महिला विभाग प्रमुख

श्री सुन्दर लाल उनियाल एवं श्री कमलेश श्रीवास्तव
कानून प्रकोष्ठ एवं सचिवालय कार्य

वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता।– शेख सादी

क्षेत्र-प्रमुख

- श्री हरीश तिवारी

  हरिद्वार जिला
  टिहरी गढ़वाल जिला
  ऋषिकेश
  उत्तरकाशी जिला

- श्री कमलेश कुमार श्रीवास्तव

  देहरादून
  पौडी गढ़वाल
  चमोली जिला
  रूद्रप्रयाग जिला

- श्री पूरन सिंह बिष्ट

  अल्मोडा जिला
  बागेश्वर जिला
  पिथौरागढ़ जिला

- श्री रमेश चन्द जोशी

  नैनीताल
  ऊधमसिंह नगर
  चम्पावत

पूर्णकालिक

- श्री सुन्दर लाल उनियाल, प्रदेश अध्यक्ष
- श्री डी० डी० शर्मा, प्रदेश महामंत्री
- श्री कमलेश श्रीवास्तव, प्रदेश मंत्री

गरीब वह नही है जिस के पास कम है बल्कि धनवान होते हुए भी जिस की इच्छा कम नही हुई वह सब से अधिक गरीब है।– विनोबा भावे

आपका अपना बैंक

नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक लि० हल्द्वानी

गणतंत्र दिवस-२००३ के अवसर पर यह बैंक अपने सभी ग्राहकों, खातेदारों, कृषक सदस्यों एवं जन सामान्य का हार्दिक अभिनन्दन करता है तथा अनुरोध करता है कि इस बैंक द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का समुचित लाभ उठाने हेतु सेवा का अवसर प्रदान करें :

विशेषताएं :-

- कृषि ऋण वितरण में अग्रणी भूमिका।
- अन्य वाणिज्यिक बैंकों की अपेक्षा अमानतों पर अधिक ब्याज।
- भारतीय रिजर्व बैंक से लाईसेंस प्राप्त।
- अधिकांश शाखाओं में लाकर्स सुविधा।
- जीप/टैक्सी/आटो रिक्शा एवं बडे वाहनों हेतु वाहन ऋण की सुविधा।
- व्यवसायियों/फर्मो को बंधक/दृष्टिबंधक ऋण सुविधा।
- वेतनभोगी व्यक्तियों को वेतनभोगी समितियों के माध्यम से ऋण सुविधा।
- वेतनभोगी व्यक्तियों को घरेलू सामान क्रय हेतु १.०० (एक लाख) रूपये तक सी०डी०एल० ऋण सुविधा।
- जन सामान्य को आसान शर्तो पर भवन निर्माण ऋण सुविधा।
- शीघ्र हल्द्वानी मुख्य शाखा में ए.टी.एम. सुविधा।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित

शेर सिंह लटवाल	टीकम सिंह खेड़ा	इकबाल भारती	राजेन्द्र सिंह नेगी
सचिव/महाप्रबन्धक	सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
सदस्य प्रशासक मंडल	प्रशासक मंडल	प्रशासक मंडल	प्रशासक मंडल

गरीब वह नहीं है जिसके पास कम है, बल्कि धनवान होते हुए भी जिसकी इच्छा कम नहीं हुई वह सबसे अधिक गरीब है। – विनोबा भावे

सरकार ने आर्थिक नीतियां नहीं बदली तो 85 लाख श्रमिकों की छटनी होगी

सुन्दर लाल उनियाल
एम.ए. (हिन्दी)
प्रदेश अध्यक्ष, भा.म.सं. उत्तरांचल

यह सभी को ज्ञात है कि व्यापक जनता के संघर्ष के बाद भारत देश आजाद हुआ था, किन्तु आज भी भारत देश कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तथा अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जूझ रहा है, सत्ता में बैठी सरकार ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सुधारवादी आर्थिक नीतियों के तहत इनको भारी छूट देकर भारत वर्ष मे सभी दरवाजे खोल दिये हैं, जिससे देश की आर्थिक स्थिति भयंकर हो गयी है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के सामने आत्मसमर्पण करने वाली केन्द्र की सरकार के खिलाफ आज सभी के लिए श्रमिक संगठन एक होकर इसका विरोध कर रहे है। भारतीय मजदूर संघ ने लम्बी लड़ाई करने का ऐलान किया है। इसलिए तो 25 अप्रैल 2001 से एनरॉन कम्पनी का सौदा रद्द करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र बंद में भा.म.सं. सम्मिलित हुआ तथा 2 लाख से अधिक की रैली 16 अप्रैल को निकाल कर दिल्ली में भारत सरकार को चेतावनी भी दे डाली। सरकार की आर्थिक नीतियां नहीं बदली तो 85 लाख श्रमिकों की छटनी होगी, इसलिए श्रम संगठनों का नेतृत्व करते हुए भा.म.सं. ने अमेरिका एवं यूरोप के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए विकासशील देशों का एक दूसरा विश्व व्यापार संगठन बनाने के लिए भारत सरकार से पहल करने का सुझाव दिया।

गत वर्ष 16 अप्रैल 2001 को रामलीला मैदान में भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक दत्तो पंत ठेगड़ी जी ने देश के हित में विशाल रैली को सम्बोधित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बचाने का प्रयास कर रही है, इस देश का मजूदर, किसान, लघु

उद्योगपति, बेरोजगार युवक तथा देशभक्त जनता उसके खिलाफ युद्ध के लिए उठ खड़ी होगी। आज आर्थिक सुधार सुझाव जो योजना आयोग ने दिये हैं वे उसी प्रकार से हैं जो फिक्की एसो.चैम और एसो चैम ने दिये हैं तथा जिनके लिए विश्व बैंक, आई.एम.एफ.डब्ल्यू. टी.ओ. लगातार भारत सरकार पर दबाव बनाये हुए हैं। इस नीति के तहत 24 मुख्य सार्वजनिक उपक्रमों को या तो बेचा गया है या सयुक्त उपक्रम में बदल दिये गये हैं। वस्त्र होजयरी, सिलाई क्षेत्रों आदि को लघु उद्योगों के लिए आरक्षित क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्र से निकालकर इन्हें बड़ी पूंजी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खेल दिया गया है। रेलवे का निजीकरण किश्तों में किया जा रहा है। रेलकर्मियों की संख्या घटने का प्रस्ताव भारत सरकार कर रही है। सरकार सड़क/बन्दरगाह के निर्माण तथा रखरखाव को भी निजी क्षेत्रों में दे रही है। विद्युत उत्पादन एवं वितरण को भी निजी कम्पनियों को सौंपने जा रही है। ऊर्जा के श्रम में उत्तर प्रदेश में तो बड़े बड़े शहर निजी संस्थाओं को सौंपकर एक प्रकार प्रयोग किया जा रहा है, जो देश के हित में नही है।

आज की राष्ट्रीयकृत बैंकों का 51700 करोड़ 200 औद्योगिक घरानों एवं पूंजीपतियों पर बकाया हैं राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी निजीकरण क्षेत्र में देने का विचार भारत सरकार कर रही है जिनका विरोध भा.म.संघ ने किया है, उर्जा के क्षेत्र में माननीय श्री दत्तो पंत ठेगड़ी जी ने देश हित विरोधी एनरॉन समझौते को तुरन्त रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि 13 दिन की वाजपेयी सरकार के दौरान एनरॉन के साथ जल्दबाजी में समझौता के लिए जिम्मेदार राजनेताओं को और नौकरशाह की पहचान की जानी चाहिए तथा उन्हें दडित किया जाना चाहिए। इसलिए तो श्रमिक संगठनों ने केन्द्र सरकार की मजदूर विरोधी आर्थिक नीतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के फैलते साम्राज्य के खिलाफ मजदूर संघों ने राज्यों में हड़ताल, बंद जैसे कदम उठाने का निर्णय लिया था।

श्री ठेंगड़ी जी ने आगे कहा कि डब्ल्यू.टी.ओ. धोखेबाज देश का क्लब है, उन्होने कहा कि अपने को देश भक्त कहने वाली सरकार अमेरिका के दवाब में आकर देश के बड़े–बडे प्रतिष्ठानों में छटनी तथा ठेकेदारी प्रथा लागू कर रही है। पूर्व वित्त मंत्री माननीय श्री यशवंत सिन्हा को आड़े हाथों लिया, उन्होने कहा कि वित्त मंत्री औद्योगिक विवाद कानून और श्रमिक कान्ट्रैक्ट एक्ट में श्रमिक विरोधी संशोधन का प्रस्ताव देकर श्रमिकों के अधिकारों पर कुठाराघात कर रही है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने अपने सुझाव समिति के माध्यम से

श्रम मंत्रालय को माननीय हंसू भाई दवे राष्ट्रीय अध्यक्ष भा.म.सं. के नेतृत्व में श्रम से सम्बन्धित सुझाव दिये हैं, जिससे श्रमिकों का अहित न हो।

अभी तक जिस कारखाने में सौ मजदूर काम कर रहे थे उसे बंद करने की अनुमति लेने की जरूरत होती थी। लेकिन वित्त मंत्री ने यह सीमा एक हजार तक घटा दी। सरकार इस नीति से पच्चासी लाख मजदूर छटनी की चपेट में आ गये हैं उन सभी सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश की भी आलोचना की और कहा कि मार्डन फूड को कौड़ियों के दाम बेच दिया गया। उन्होने सभी श्रमिक संगठनों से विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक के खिलाफ लड़ाई में हाथ मिलाने तक का भी आग्रह किया। चरणबद्ध तरीके से तीन वर्षों के भीतर सस्ते राशन, रसोई गैस मिट्टी का तेल, डीजल, पैट्रोल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आदि क्षेत्रों को दी जाने वाली सब्सिडी पूरी तरह से समाप्त करने की योजना है। उदारीकरण के नाम पर किसानों को तबाही के रास्ते पर ले जाया जा रहा है। संगठित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सरकार छटनी करने का मन बना चुकी है। प्रत्येक विभाग में कुल संख्या का 20 प्रतिशत छटनी का प्रयोजन रखा है। असंगठित क्षेत्र के मजदूर ठेका एवं दिहाड़ी मजदूर बनने पर विवश हो रहे निजीकरण के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा मध्यम वर्ग के लिए भी दुर्लभ हो जायेगी, इसलिए इन विनाशकारी आर्थिक नीतियों का विरोध श्रमिक क्षेत्र में प्रत्येक केन्द्रीय संगठन को करना होगा, तभी श्रमिक क्षेत्रों को बचाया जा सकता है।

प्रायः यह भी देखने में आ रहा है कि नौकरशाह लोग लाभ कमाने वाले सार्वजनिक उपक्रम, होटलों (सरकारी/अर्धसरकारी) का जानबूझकर घाटे में दर्शा रहे हैं और श्रमिकों को इसके लिए दोषी करार कर उन्हें सस्ते दामों पर बेचकर इसका लाभ स्वयं उठा रहे हैं। तभी तो माननीय ठेगड़ी ने केन्द्रीय मंत्री अरूण शौरी को ईमानदार कहने के बावजूद सरकार की विनिवेश एवं एग्जिम नीति पर जमकर प्रहार किया। इन नीतियों के कारण ही बेरोजगार के अवसर घटे हैं लाखों उद्योग आज बंद हो गये हैं लाखों मजदूर बेरोजगार सड़क पर आ गये हैं और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 31 मार्च 2000 तक तीन लाख औद्योगिक ईकाईयों बीमार हो गयी हैं।

महिलाओं के शोषण पर अंकुश लगाने, एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की दशा में सुधार लाने हेतु उनको मिलने वाला मानदेय को दुगना करने हेतु भा.स.सं. ने भी प्रयास किये हैं।

आज वे इस स्थिति में आ गई हैं। वे सम्मान से अपने आपको आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां कहने में संकोच नहीं करती है क्योंकि भा.म.सं. ने महिलाओं को जागृत एवं संगठित किया है। इसलिए तो भा.म.सं. ने महिला क्षेत्र/असंगठित क्षेत्र में कार्य किया है। भा.म.सं. ने भारत की आर्थिक संप्रभुता और आत्मनिर्भरता की रक्षा करने के लिए श्रमिकों एवं जनता को जागृत किया है तथा जनता के अधिकारों पर बढ़ते दवाब को रोकने हेतु तथा आर्थिक नीतियों के खिलाफ एकजुट होने का तथा संघर्ष करने का ऐलान किया है तथा श्रमिकों को छंटनी को रोका जा सके और भारत वर्ष आर्थिक नीतियों के कारण आने वाले समय में गुलाम न बन जाये।

सुन्दरलाल उनियाल

हार्दिक शुभकामनाएं

वेद प्रकाश गुप्ता

अमर नाथ जोशी

प्रापर्टी डीलर्स

एवं बिल्डर्स

तल्ली वेमोरी मुखानी

फोन न. 9412085039

DAWAR LAMINATES

CLUTCH FACINGS

23, 1 Niranjanpur, P.O. Majra, Dehra Dun - 248001

Mfrs. of:

Friction Materials, Clutch Liners for Automobiles Earth Moving Machinery, Oil Field Equipments & Industrial Uses

व्यक्ति की बजाय समूह द्वारा लिया गया निर्णय यशस्वी होता है।

गरीब वह नहीं जिसके पास कम है, बल्कि धनवान होते हुए भी जिसकी इच्छा कम नहीं हुई वह सबसे अधिक गरीब है। –विनोबाभावे

माँ

- *माँ! तूने तीर्थकरों को जना है, संसार तेरे ही दम से बना है, तू मेरी पूजा है, मन्नत है मेरी, तेरे कदमों में जन्नत है मेरी .....*
- *माँ और क्षमा दोनों एक हैं क्योंकि माफ करने में दोनों नेक हैं।*
- *घर की माँ को रूलाए और मन्दिर को चुनरी ओढ़ाये.... याद रखना, मन्दिर की माँ तुझ पर खुश तो नहीं .... शायद खफा जरूर होगी।*
- *माँ! पहले आँसू आते थे और फिर तू याद आती थी। आज तू याद आती है और फिर आंसू आते हैं।*
- *जिस दिन तुम्हारे कारण माँ की आँख में आँसू आते हैं, याद रखना.... उस दिन तुम्हारा किया सारा धर्म.... आँसुओं में बह जाता है।*
- *जीवन के अँधेरे पथ में सूरज बनकर रोशनी करने वाली माँ की जिन्दगी में अंधकार मत फैलाना।*
- *घर में वृद्ध मां से बोले नहीं, उनको संभाला नहीं और वृद्धाश्रम में दान करें, जीवदया में धन प्रदान करें, उसे दयालु कहना.... वो दया का अपमान है।*
- *आज तू जो भी कुछ है वो 'माँ' की बदौलत है.... क्योंकि तुझे जन्म दिया.... माँ तो देवी है....।*
- *माँ की आखों में दो बार आसूँ आते हैं, लड़की घर छोड़े तब.... लड़का मुँह मोड़े तब....।*
- *जिन बेटों के जन्म पर माँ-बाप ने हंसी खुशी पेड़े बांटे.... वही बेटे जवान होकर माँ-बाप को बांटे.... हाय, कैसी करूणता?*
- *पेट में पांच बेटे जिसको भारी नहीं लगते थे, वो माँ बेटों के पांच प्लेटों में भारी लग रही है। बीते जमाने का यह श्रवण का देश... कौन मानेगा?*

केवलानन्द सांगुड़ी 'अकेला'
कार्यकर्ता (hmt)
भारतीय मजदूर संघ
हल्द्वानी (नैनीताल)

उत्तरांचल में परिवहन निगम की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन -

डी.डी. शर्मा
महामंत्री

आप अवगत हों, वर्ष 1948 में जब परिवहन का उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकरण किया गया उस समय उत्तरांचल वासी प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री स्व. गोबिन्द बल्लभ पंत जी ने घोषणा की थी कि राजकीय रोडवेज का मूल उद्देश्य आम जनता के लिए सस्ती, आरामदायक तथा रोजगार मूलक परिवहन व्यवस्था सुलभ कराना हैं उन्होने उत्तरांचल में केवल बस सेवा ही नहीं अपितु बस कम ट्रक, टैक्सी, सेवाएं भी परिवहन व्यवस्था में दिये। काठगोदाम, कोटद्वार, देहरादून तथा बाद में टनकपुर से पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन का यह सारा कारोबार राजकीय रोडवेज के पास था। वन विभाग, सेना विभाग, सा. नि.वि., आर.एफ.सी. आदि सरकारी विभागों का सामन ढोना, रानीखेत, भवाली, रामगढ़ नैनीताल, लैन्सडाउन, दुगड़ा, मसूरी, लोहाघाट, चम्पावत में रेलवे आऊट एजेन्सी लेकर पार्सल/माल का ढुलान, सेना विभाग के सैनिकों को रोड वारंट की सुविधा, पोस्टल विभाग की डाक सेवा, सरकारी वाहनों को अपने रोडवेज पम्पों से तेल की सप्लाई, उनकी मरम्मत आम जनता तथा वी.आई.पी. के लिए टैक्सी सुविधा न्यूज पेपर ढुलान आदि कार्य विभाग के पास रहने से लगता था कि राजकीय रोडवेज सरकार के रूप में संचालित है परिणामस्वरूप उत्तरांचल में रोजगार के सर्वाधिक साधन उपलब्ध थे, इस विभाग के वाहनों का संचालन निर्धारित समय तथा स्थानों से होता था, इसमें कार्यरत कर्मचारियों तथा अधिकारियों का भी राजकीय सेवक के नाते अपना सम्मान था उन्हें नियमित रूप से वेतन एवं निर्धारित समय पर अन्य देयकों का भुगतान मिलता था कार्य करने की एक पद्धति थी विभाग में अनुशासन था जनता के प्रति जवाबदेही होती थी 25 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाफ रेस्ट/रिलीवर, 25 प्रतिशत अतिरिक्त वाहन मैन्टीनेंस हेतु तथा 25 प्रतिशत अतिरिक्त कलपुर्जे स्टाक में रखने की व्यवस्था थी। वाहनों का मेंटीनेंस निर्धारित किलोमीटर पर अक्सर निर्धारित समय पर तथा अच्छी परफारमेंस के लिए कर्मचारियों को इनाम, समय पर वर्दी, ओ.टी., टी.ए. आदि हित लाभ मिलते थे। लगता था कि इस विभाग से बेहतर विभाग प्रदेश में कोई हो ही नहीं सकता। तथा भविष्य में भी सबसे उज्जवल इसी का है लेकिन आज इसकी हालत क्या है, उत्तर प्रदेश ने उत्तरांचल के गठन के बाद इसकी ओर अपनी नजर फेर ली है। उत्तरांचल सरकार इसको लेने को तैयार नहीं। इसमें कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी असमंजस की स्थिति में हैं। 75 प्रतिशत बसें जीर्णशीर्ण हालत में हैं वे अपना जीवन काल पूरा कर चुकी है।

महत्व इसका नहीं कि आप क्या जानते है। बल्कि इसका है कि समय पर आप सोचते क्या हैं।

कार्यशालाओं में सामान नहीं, स्टाफ नहीं, पर्वतीय क्षेत्र में बस संचालन प्रायः समाप्त है। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अधिकांश संचालन प्राइवेट बसों, सुमों, टैक्सियों, जीपों आदि का है, ट्रक, टैक्सी, आउन्ट एजेन्सी आदि अनेकों कारोबार परिवहन निगम बनने के बाद पहले ही बंद कर दिये गये कर्मचारियों के करोड़ों, देयकों के लिए परेशान हैं, वर्दी बंद है, ओटी बंद है, भर्ती बंद है सम्पूर्ण स्थिति निराशाजनक है।

विचारणीय प्रश्न यह है कि इस विभाग को इस स्थिति पर पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है क्या इसमें कार्यरत कर्मचारी है, क्या अधिकारी है अथवा सरकार की नीति के तहत यह स्थिति बनी है इस पर हमें गहराई से विचार करना होगा। मेरे विचार से इसके लिए अधिक जिम्मेदार सरकार की गलत नीतियां रही है, वही कर्मचारी/अधिकारी भी कम जिम्मेदार नहीं जो निम्नवत हैं।

1. राजकीय रोडवेज का कभी मैनुवल नहीं बनाया गया फलस्वरूप आई.ए.एस. अधिकारियों ने निगम गठन उपरांत स्वः विवेक से समय-समय पर कार्य प्रणाली बदली जो बाद में भारी हानि के बाद फेल हो गये।
2. निगम गठन उपरांत इसमें राजनैतिक हस्तक्षेप बढ़ गया। राजनेताओं द्वारा अपने स्वार्थ हेतु निजी वाहनों का संचालन लाया गया, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मार्गों का राष्ट्रीयकरण समाप्त कर दिया गया।
3. राजकीय रोडवेज के गठन पर जो उद्देश्य निश्चित थे, उनसे हटकर कार्यनीति अपनायी गयी एक ओर सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप दूसरी ओर एटोनीमस संस्था के रूप में कार्य पद्धति लायी गई।
4. निगम का शीर्षस्थ प्रबन्धन पर राजनीति प्रभावी रही जो उनके इशारों पर बदलती रही।
5. अकुशल प्रबन्धन के फलस्वरूप ट्रेड यूनियन आंदोलनों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
6. ट्रेड यूनियन गतिविधियों तथा जन आंदोलनों में विभाग को भारी क्षति पहुंची।
7. कर्मचारियों में कार्य संस्कृति का अभाव रहा।
8. आदि-आदि।

अब स्थिति से कैसे उभरे। क्या उत्तरांचल में परिवहन व्यवस्था निजी मोटर मालिकों को सौंप दी जाये अथवा राज्य सरकार के आधीन रहे। यह विचार करना है यह सर्वविदित है कि उत्तरांचल का प्रमुख उद्योग पर्यटन माना जा रहा है इसकी सीमायें भी बोर्डर से जुड़ी है, ऐसी स्थिति में सबसे बेहतर तो यही था कि प्रदेश सरकार पर्यटन विभाग से इसको सम्बद्ध करती इसको दू टायर में चलाया जाये इसका सुव्यवस्थित बोर्ड बनाया जाये जिसमें परिवहन विशेषज्ञ, यात्री फोरम, श्रम

संघ, तथा सरकार के प्रतिनिधि हो, राष्ट्रीयकृत मार्गों पर इसका एकाधिकार हो, इसमें शीर्षस्थ अधिकारी आई.टी.एस. हो तथा उसकी सेवायें कन्ट्रेचवल हो। इसका अपना एक मैनुवल हो, अधिकारियों/कर्मचारियों में कार्य के प्रति निष्ठा तथा सामंजस्य हो, प्रदेश सरकार की ओर से प्रारम्भ में समुचित ऐड हो तथा राजनैतिक हस्तक्षेप न हो तो उत्तरांचल में परिवहन व्यवस्था इसके विकास में अपनी अहम भूमिका दे सकता है।

राष्ट्रीय श्रम दिवस मनायें विश्वकर्मा जयंती में।

बड़े लोग जब छोटे काम करते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है।

गीत

1. भारतीय मजदूर संघ की,
   सुनो ये अमर-कहानी
   जीरो से ये शुरु हुई,
   अब कोई न इसकी सानी।
   श्रमिकों की ये एक संस्था,
   राष्ट्रवाद की धारा है!
   उच्च शिखिर पर देखो फहरा,
   भगवा-झण्डा प्यारा है!!
   इस झण्डे की आन की रक्षा
   हम वीरों ने ठानी!
   भारतीय मजदूर संघ....

2. संघ की गौरव गाथा की तो,
   एक निराली शान है,
   और अनेकों श्रम-संघों में,
   अलग एक पहचान है,
   निर्माणों के आदर्शों की,
   इसकी जीवन-शैली!
   भारतीय मजदूर संघ....

3. देश के हित में अपना हित है,
   जिसमें जन-कल्याण निहित है,
   किन्तु प्रथम, कर्तव्य निभाना,
   फिर है मांग उठानी
   भारतीय मजदूर संघ....

4. मानवता के लिए समर्पित,
   तन-मन-धन, सर्वस्व हमारा,
   मातृभूमि के सच्चे सेवक
   वन्दे! मातरम् नारा!
   अब तो दो आशीष

- ओ.पी. भोला
सेवानिवृत सी. लिपिक
उ.प्र. परिवहन निगम हल्द्वानी

मानव जिस लक्ष्य में न लगा देता है, उसे वह श्रम से प्राप्त कर लेता है-ऋग्वेद

महिला श्रमिक एवं कानून

एस.पी. कुकरेती, सहायक श्रमायुक्त, हरिद्वार

यद्यपि भारत में प्राचीन काल से ही महिलाओं का समाज में एक उच्च तथा महत्वपूर्ण स्थान रहा है लेकिन सामाजिक परिवर्तन एवं तथाकथित आर्थिक प्रगति जनित दवाब के कारण महिला वर्ग और विशेषकर महिला श्रमिक वर्ग को कई प्रकार से विभेद का भागी बनना पड़ा है। इस परिपेक्ष्य में, भारत के संविधान निर्माताओं संविधान के भाग–4, जिनमें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाहित किये गये हैं, में यह स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि राज्य समस्त नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करेगा तथा जाति, लिंग आदि के भेदभाव को समाप्त करने हेतु प्रयास करेगा। इस सिद्धांत के आधार पर भारतीय न्याय प्रक्रिया के अधीन "व्यक्ति" में पुरूष एवं महिला कसमान रूप से समाहित हैं। इसी प्रकार भारतीय संसद द्वारा पारित अथवा राज्य सरकारों द्वारा पारित समस्त श्रम कानूनों का लाभ एवं व्यवस्थाएं स्त्री और पुरूष दोनों कर्मकारों पर समान रूप से लागू होते हैं। उदाहरण के रूप में न्यूनतम वेतन अधिनियम, स्थाई आदेश अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधियिनम द्वारा प्रदत्त न्यूनतम वेतन अथवा कार्यदशाएं एवं सेवा शर्तें महिला एवं पुरूष श्रमिकों पर समान रूप से लागू हैं।

महिला श्रमिकों की समाज में विशिष्ट स्थिति, पारिवारिक उत्तरदायित्व को दृष्टिगत रखते हुए तथा महिलाओं की गरिमा एवं प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए श्रम अधिनियमों में विशिष्ट प्रावधान किये गये हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 में महिला श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने हेतु एक अध्यादेश पारित किया गया था। जो कि बाद में समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के रूप में अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम में व्यवस्था है कि समान कार्य के लिए बिना किसी लिंग भेद के स्त्री एवं पुरूष श्रमिकों को समान वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

अधिनियम द्वारा समान कार्य को सरल भाषा में निम्न प्रकार पारिभाषित किया गया है।

"किसी भी कार्य को करने के लिए यदि एक समान कौशल तथा एक समान शक्ति की आवश्यकता है तथा कार्य की परिस्थितियां सामान्यतः समान हैं, तो ऐसे कार्य करने के लिए महिला एंव पुरूष श्रमिकों के वेतन में केवल लिंग के आधार पर अंतरदण्डनीय अपराध माना गया है। इस अधिनियम के उल्लंघन के लिए उल्लघनकर्ता सेवायोजक को रूपये 10,000 से रूपये 20,000/– तक का अर्थदण्ड अथवा 3 माह का कारावास या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि नियुक्ति करने के लिए पुरूष एवं महिला अभ्यार्थियों में विभेद न कर दोनों को समान अवसर उपलब्ध किया जायेगा।

महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व का हितलाभ अधिनियम, 1961 भी एक महत्वपूर्ण श्रम अधिनियम है। मूलतः यह अधिनियम कारखानों, बागानों, खदानों में कार्यरत श्रमिकों को ही लाभान्वित करता है। परन्तु इस अधिनियम में वर्णित सुविधाओं एवं लाभों को उत्तरांचल दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम से आवृत्त महिला कर्मकारों को भी अधिनियम की धारा – 26 के अंतर्गत लागू किया गया है।

मातृत्व हितलाभ के अधीन महिला श्रमिक गर्भावस्था की अवधि में बच्चा जनने की संभावित तिथि से 6 सप्ताह पूर्व तथा 6 सप्ताह बाद तक मातृत्व हितलाभ के रूप में सवेतन अवकाश पाने की अधिकारी है। इसके साथ ही गर्भावस्था के दिनों में महिला श्रमिक से अधिक लम्बे समय तक खड़े रहने अथवा भारी वजन एवं जल्दी थकाने वाले कार्य लिया जाना भी निषिद्ध है। ताकि महिला अथवा होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव न पड़े।

मातृत्व हितलाभ किसी भी महिला श्रमिक को इस शर्त पर ही सेवायोजन देने के लिए बाध्य है, कि बच्चा पैदा हने की संभावित तिथि से पूर्व कम से कम 6 माह की अवधि में किसी नियोजक के अधीन अनवरत रूप में महिला नियोजित रही हो। मातृ का हित लाभ एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु महिला श्रमिकों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन भी यही व्यवस्थाएं की गयी हैं।

महिला श्रमिकों की कार्यदशाओं एवं उनके कार्य के घंटे, अतिकाल एवं तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी श्रम अधिनियमों में विशिष्ट व्यवस्थायें की गयी हैं। कारखाना अधि ानियम, 1948 तथा उत्तरांचल दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि

महिला श्रमिकों से रात्रि में कार्य नहीं लिया जायेगा। इसी प्रकार महिला श्रमिकों से सप्ताह में 48 घंटे ही कार्य लिया जा सकता है और महिला कर्मकचारों से किसी भी दशा में अतिकाल कार्य नहीं लिया जायेगा।

वर्तमान आर्थिक परिदृश्य और विशेष सूचना एवं प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में महिला श्रमिकों की बढ़ती हुई भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय सरकार तथा कई राज्य सरकारें महिला कर्मचारियों से अतिकाल कार्य करवाने और रात्रि के समय कार्य न लिये जाने के उपबन्धों में संशोधन करने पर विचार कर रही है। यद्यपि वर्तमान परिदृश्य में यह सशोध ान समीचीन लगते हैं लेकिन हमें संशोधन करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करना होगा कि महिला श्रमिकों की सुरक्षा, उनकी गरिमा और पारिवारिक तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

यहां पर यह महत्वपूर्ण है कि मातृ का हितलाभ अधिनियम 1961 केवल कारखानों, चाय बागानों आदि पर ही लागू होता है और उत्तरांचल दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम भी नगर पालिका/नगर क्षेत्रों पर ही लागू होता है तथा असंगठित क्षेत्र में विशेषकर कृषि कार्यों, वानिकी, पर्यटन, भवन, तथा अन्य निर्माण कार्यो में लगी महिला श्रमिक अभी भी इस लाभ से वंचित हैं। निश्चित ही संविधान के नीति निदेशक तत्वों के समावेश की इच्छा यह नहीं थी कि महिला श्रमिकों के एक मूलभूत और बड़े हिस्से को इन सुविधाओं से वंचित रखा जाये। नवोदित उत्तरांचल राज्य जिसमें कि सामाजिक सुरक्षा के अन्य कोई विकल्प नहीं है, महिलाओं को मातृ हित लाभ जैसे आवश्यक लाभ से लम्बे समय पर वंचित रखा जाना उचित नहीं है। हम द्वितीय श्रम आयोग की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु हित लाभ कृषि, निर्माण, पर्यटन, परिवहन तथा ग्रामीण क्षेत्रों मे नियोजित महिला श्रमिकों को मातृत्व हितलाभ की व्यवस्था करें।

देश हमें देता है सब कुछ,
हम भी तो कुछ देना सीखें।

वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। शेख सादी

No. R. 12/16/9/2001-Ins.II
Dated 6.2. 2003

To,

All the Regional Directors
Joint Directors (Incharge) Director
Regional Office/S.R.OS.

Subject : National extension of employment in case of commuting accidents.

Sir,

Your are aware that as per the decision pronounced by the Hon'ble Supreme Court of India in the case of ESIC Vs. Francis D' Costa the law of employment injury was laid down - which excluded injury sustained by the insured worker in accidents while commuting from his place of residence to his place of work and vice-versa. Accordingly, you were advised not to treat such cases as employment injuries and not to give benefits of disablement which have beer unentailed in the ESI, Act, Regulations etc. vide letter Nos. N-19/13/6/Mis./ 92 I dated 18.10.96 and N-19/11/1/ 96-Ins. I dated 31.10.96. However, there have been representations from employees organizations and other interest groups for providing employment injury benefits to the workers who sustain injuries while commuting from residence to place of work and vice versa. Taking into account the fact that law has been laid down by the Supreme Court of India and also taking into account the justifiability of providing some benefits to workers while commuting as stated above, it has been decided by the ESI Corporation in its meeting held on 18.12.2002 that disablement and dependent benefits be extended to 1Ps. or beneficiaries as the case may be subject to fulfillment of the conditions laid down in the Act, Rules and Regulations, when they are involved in accidents while commuting from their residences to their places of duty and vice-versa. Accordingly, the following instructions may be noted for regulations such cases :-

(1) The injury should have been sustained or the death occurred out accidents/ occurring while commuting of from place of residence to place of work and vice versa.

(2) The accident has a casual connection with the employment.

(3) The accident must have been suffered in course of employment.

(4) The other requirements like the worker being an employee on the date of accident etc. should be satisfied.

(5) The benefits may be called `Extended Disablement Benefit'.

(6) These instructions will have prospective effect. However, pending case may be decided based upon these instructions.

Receipts of this communication may please be acknowledged.

Yours faithfully,

(V. Nagar)
Additional Commissioner
For Insurance Commissioner

भारत सरकार द्वारा श्रम संघों की सदस्यता सत्यापन (31.12.1989)		
1.	भारतीय मजदूर संघ	31,16,564
2.	इण्टक	26,92,388
3.	सीटू	17,75,220
4.	हिन्द मजदूर सभा	14,80,963
5.	एटक	9,38,486
6.	यू.टी.यू.सी. (एल.एस.)	8,43,256
7.	यू.टी.यू.सी.	5,84,523
8.	एन.एफ.आई.टी.यू.	5,29,782
9.	टी.यू.सी.सी.	2,30,139
10.	एन.एल.ओ.	1,38,877
11.	एच.एम.के.पी.	3,516
12.	आई.एफ.एफ.टी.यू.	428

(27 दिसम्बर, 1996 को श्रम मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना)

व्यक्ति नहीं संगठन महत्वपूर्ण : दत्तोपंत ठेंगड़ी

हर वो चीज जो चमकती है, सोना नहीं होती– शेक्सपीयर 'द मर्चेंट ऑफ वेनिस'

SUBMISSION OF BHARTIYA MAZDOOR SANGH

(On the Recommendations of 2nd NCL)

In the new era of Globalisation, workers are looking upon every change proposed in Labour Law with caution. It has brought in anti-labour reforms. Lakhs of workers are made jobless in India where an army of unemployed youths are in the waiting. Management used globalisation as an excuse to hurt the workers. Labourisation has caused damage to the workers in many ways. It wants to take worker on ransom for their insecurity. Our ten year experiment with Globalisation has proved that it has damaged our developmental prospects. Globalisation is an unwanted eventuality. Hence, we reject the package of reform put forward by the advocates of globalisation, which later was pushed forward by employees' Organisations.

We summarise our views on some of the recommendations of 2nd NCL on Labour Management relations as follow:

1. Chapter V-B of I.D. Act should be amended by :-

(a) Removing the limit of even 100 workers.

(b) Applying chapter V-B to all establishments apart from the present position of application only to factories, plantation and mines.

(c) Workers are protected sufficiently in the event of any unavoidable retrenchment or clousre by higher compensation and provision for re-employment.

2. We welcome the recommendation of the Commission that after two years of working, a worker should be treated as permanent worker. Job Security is an important right of the worker accepted for a long period of time. But in many Industries workers are retained for every beyond 10 years, in the name as casual workers, Badali, Temporary workers, contract workers, part-time workers, apprentice etc. This should be prohibited by a suitable legal provision.

3. Equal wages together with equal benefits is to be recognised in the case of all workers, especially regarding exploited category of workers like contract labour, women, Child Labour, Badali, Casual, Temporary, Apprentices etc. This will prevent exploitation of such categories for the purpose of monetary gain.

4. Compensation for all purpose should be calculated not only on the basis of last drawn wages but also on the basis of all ancillary benefits and increase in minimum wages.

5. Some of the Central legislations prescribe 9 hours working per day. National Commission on Labour also recommended the same. Eight hours working time is

universally accepted one. It will be shameful for our country to prescribe nine hours working. So all our labour laws should presribe maximum of eight hours working time per day and forty hour per week. 1st National Commission had recommended this. This should apply to I.T. Industry as well.

6. Interval of rest for workers shall be one hour and no half an hour. Maximum overtime work etc. should not be changed adversely to the workers.

7. National Commission on Labour has committed a mistake by commenting that India has great number of holidays. Even our neighbour China follows strictly two days weekly rest apart from other holidays and leaves. Thus in spite of more holidays and lesser working hours if China could claim that it progressing very fast in Industrial and other sector, why can't India?

8. Regarding bargaining agent we suggest that :-

   (a) There should be secret ballot of all unionised workers.
   (b) Composite bargaining agency should be constituted on the basis of proportional representation.
   (c) Union getting less than 15% votes should be excluded.

We reject the idea of sole bargaining agent as it will encourage or create monopoly of trade unions. We also reject the idea of check-off system as in the long run it create distance between members and union. Hence we suggest secret ballot.

9. Recommendation of N.C.L. Limiting the role of outside leadership is not acceptable. History says that Trade Union movement has progressed because of the initiative of outside leaders. Whatever idealism Trade Union movement had in the past and has even today is due to outside leadership. Hence a healthy proportion between outsiders and insiders in leadership has to be maintained to prevent trade unions from deteriorating itself to "bread-butter trade unionism". At the same time outside political leadership or interference should be curtailed.

10. The present provision for political fund should be done away with and section 16 of Trade Union Act should be amended accordingly.

11. Any move to restrict strike is undemocratic and will have to be fought tooth and nail by the trade unions. Instead, it is well settled idea that Govt. should evolved a mechanism that would render *strike a superfluity.* This can be achieved by evolving a "Self Restrictive Alternate and Effective Redressal Mechanism" evolved through

consultation with Trade Unions. No doubt strike ballot is an attempt to restrict strike. commission's recommendation for strike ballot in Socially essential services (Para 48) is in effect prohibiting strike. Taken strike has relevance only in a world where conscientious employers show high moral level. Unfortunately that is miserably lacking in our country. We also does not agree with the recommendation that strike could be called only by the recognised negotiating agent and that too after strike ballot with 51% support. Three-days wage cut per day in the name of illegal strike is also highly objectionable.

12. We also reject the idea of exempting certain categories of employment from the purview of labour laws. Labour laws should have uniform applications to all those who contribute their labour as a means of livelihood. Otherwise it is discriminatory. There are lots of instances where Government has misused their arbitary powers to grant exemptions for ulterior reasons and pressures.

13. The principle of uniform applicability of all labour laws and codification of plethora of Labour legislation are necessary to reduce the complexity of legal provisions existing now.

14. A separate Legislation for Small Scale Sector in the name of procedural hurdles and simplification of law should in no case end in curtailing the existing rights of workers, otherwise such attempts will have to be objected to by Trade Unions.

15. The Commission did not include in its recommendations the demand of Trade Unions for compulsory attendance of the management in conciliation proceedings. Many a time management show disrespect to the notice for conciliation issued by Conciliation Officers and do not attend conciliation. Thereby Trade Unions are compelled to call for strike. So Conciliation Officer should have powers for compulsory attendance of parties just as that of a Civil Court.

16. System of self-certification should not be permitted to replace inspection by labour department. Inspectorate shall not be totally eliminated.

Another highly objectionable recommendation of the Commission is bringing in of the Union disputes under the purview of Labour Courts. Disputes and differences inside the Trade Unions is purely an internal matter of Trade Unions. Taking it outside or dragging it to Court will be another hindrance upon the smooth functioning of Trade Union. Similarly subjecting Federations or Central Organisations of workers to registration procedures is also an infringement upon the rights of Trade Unions. The Hierarchy of Federations and other higher bodies are only for organisational convenience of Trade Unions.

In many employments, especially Govt. Undertaking, the frequency of recognition of Trade Unions is two years. For them that period has to be retained and not be raised.

17. The Scheme of Workers' Participation in Management can even at the inception be made applicable to small establishments employing less than 300 workers also.

We agree with the rest of the overall recommendations, which are given in the gist of recommendations in the Agenda Note on Industrial Relations in the tripartite meeting.

For
Bhartiya Mazdoor Sangh

हिन्दी देश की एकता की कड़ी है- डा. जाकिर हुसैन

उत्तरंयत समुद्रस्य, हिमादेश्चैव दक्षिणम्।
वर्षतद् भारतं नाम भारती यत्र संततिः।।

हम प्रिय से प्रिय, मीठी से मीठी वाणी बोलें–सामवेद

❖ शुभकामनाओं सहित ❖

नरूला स्टोन इन्डस्ट्रीज

हरिपुर बच्ची हल्दूचौड़
लाल कुआं
जिला नैनीताल

शुभकामनाओं सहित

वी. आर. पोखरियाल

४/२ तेगबहादुर रोड
देहरादून

भारतीय मजदूर संघ का ध्वज

भारतीय मजदूर संघ का ध्वज समद्विभुज चतुष्कोणाकृति रहेगा और उसका आकार 2′ ग 3′ रहेगा। ध्वज आवश्यकता अनुसार 2:3 के आधार पर छोटा–बड़ा बनाया जा सकता है। ध्वज का रंग भगवा होगा, जो सूर्योदय अग्निशिखा तथा सन्यासी के गेरूए वस्त्रों का प्रतीक है। दूसरे शब्दों में वह ज्ञान, आकांक्षा तथा स्वतंत्रता का प्रतीक है।

वसुधैव कुटुम्बकम् की सन्यासी की वृत्ति रहती है। यह विश्व का नागरिक है, और उसी के उद्धार के लिए कार्य करता है। भगवा ध्वज भी यही संदेश देता है, जो कि सच्चा मानव धर्म है।

भगवा ध्वज में अन्याय, पंथ, वाद, व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, राष्ट्रीय, धार्मिक, आध्यात्मिक विद्याएं इस तरह घुलमिलकर एक रस हो जाते हैं जैसे कि संगम में अनेक नदियों के प्रवाह। इसलिए – भगवा ध्वज, यह विश्व के कामगारों का ध्वज है। चलें, हम उसे नील गगन में फहरायें, नीले बादलों के साथ।

प्रतीक चिन्ह–सर्वश्रेष्ठ मानव अंगूठा क्यों!

सारे भौतिक प्रगति के मूल्यों में मानव का एक अंगूठा है। सभी हथियार, हथौड़ा, गंडासा, चक्र, हल, बन्दूक तथा कलम आदि हम अंगूठे के सहारे ही पकड़ सकते हैं। भारत में उद्योग का प्रतीक चक्र ही पकड़ सकते हैं। भारत में उद्योग का प्रतीक चक्र और खेती की परिचायक गेहूं की बाली से इसका मध्यवर्ती स्थान उभर आता है।

इसी अंगूठे के कारण ही मानव अनेक चीजें बनाता है, चाहे वह कामगार हो या कलाकार। अंगूठा करता है – मानव निसर्ग से परे जा सकता है, और विश्व श्रमिक का सपना साकार कर सकता है।

यह राष्ट्र नहीं अच्छा, जिसमें होता अपमान पसीने का।

6. प्रखण्ड स्तर के अधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के सहयोग से शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषाहार सफाई कार्यक्रमों का आयोजन

2. मुख्य सेविका के दायित्व- मुख्य सेविका समय समय पर आंगनबाड़ी कार्यक्रताओं की सहायता मार्गदर्शन व प्रशिक्षण प्रदान करती है। वह 17, 20 या 25 आंगनबाड़ी केन्द्रों की देखभल करती है। केन्द्र भ्रमण के दौरान उसे निम्न कार्य करने पड़ते हैं।

1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अभिलेखों की जांच एवं सही रख-रखाव के लिए मार्ग दर्शन करना।

2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को स्कूल पूर्व शिक्षा कार्यक्रम के आयोजन में मार्गदर्शन कराना।

3. गांव के विशिष्ट व्यक्तियों तथा स्थानीय संस्थाओं से सम्पर्क बनाकर कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहयोग लेना।

4. सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मासिक आख्या निश्चित समय के अन्दर एकत्र कर उसे सी.डी.पी.ओ. तक पहुंचाना।

5. परियोजना मुख्यालय पर होने वाली बैठक में भाग लेकर आंगनबाड़ी केन्द्रों की समीक्षा करना।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के उत्तरदायित्व - आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के दायित्व निम्न हैं-

1. 3 से 6 के बच्चों को अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करना।

2. समुदाय का सर्वेक्षण कर लाभार्थियों की सूची।

3. 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का वजन का रिकार्ड लेकर कुपोषित बच्चों का पता लगाना।

4. गर्भवती माताओं तथा 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण कराना तथा पूरक पोषाहार का वितरण करना।

5. कुपोषित बीमार खतरे की सीमा के अन्दर के बच्चों व माताओं को सन्दर्भ सेवाएं उपलब्ध कराना।

6. निर्धारित रजिस्टर व किार्ड का रख रखाव

7. प्रतिदिन गृह-भ्रमण कर अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित कर टीकाकरण स्वास्थ्य शिक्षा पोषाहार सम्बन्धी विषयों पर चर्चा करना।

8. प्रत्येक माह मुख्य सेविका को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा बैठक में भाग लेना।

आंगनबाड़ी सहायिका के उत्तरदायित्व - आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मदद के लिए एक सहायिका की नियुक्ति की जाती है। जिसके कार्य निम्नलिखित हैं।

1. आंगनबाड़ी केन्द्र में आने वाले बच्चों को साफ रखना व देखभाल करना

2. आंगनबाड़ी केन्द्र की सफाई करना पानी की व्यवस्था करना, पोषाहार पकाना बर्तन साफ करना व पोषाहार वितरण में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मदद करना।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में सहायिका ही केन्द्र का संचालन करती है।

अन्य संगठनों में व्यक्तिगत नेतागिरी बढ़ाने की आदत है
किन्तु व्यक्तिगत नेतागिरी बढ़ाने का प्रयास यहां नहीं है।

उत्तरांचल श्रम-संकल्प के दूसरी बार सफल प्रकाशन पर हार्दिक शुभकामनाएं

श्रमिक संघ,

एच.एम.टी. घड़ी कारखाना - ५

रानीबाग, जिला नैनीताल

केवलानन्द सांगुड़ी	सुरेश कुमार रावत	संजीव शुक्ला
अध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	मंत्री

फोन नं. 230204

अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक, लि. अल्मोड़ा गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाओं सहित अपने खातेदारों एवं समस्त सहकारी बन्धुओं, नागरिकों का हार्दिक अभिनन्दन करता है

बैंक द्वारा प्रदत्त सुविधाएँ

1. कृषि ऋण वितरण में जनपद में अग्रणी
2. नये गृह निर्माण व पुराने गृह के जीर्णोद्धार की सुविधा
3. व्यावसायिक ऋण की सुविधा
4. वाहन ऋण की सुविधा
5. वेतनभोगी कर्मचारियों को टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के क्रय के लिए ऋण
6. राष्ट्रीय बचत-पत्रों के विरूद्ध ऋण
7. कर्मचारियों को वेतनभोगी सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण
8. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ऋण की सुविधा।
9. शाखा-अल्मोड़ा, द्वाराहाट व बागेश्वर में लाकर्स सुविधा उपलब

डा. एच.डी. काण्डपाल	दीवान सिंह भैसोड़ा
सचिव / महाप्रबन्धक	प्रशासक

"इंसानी भेड़ियों का तांडव"

आज की हवा का रूख,
किसी नये संदेशा की ओर,
तूफान या बरसात की ओर,
मंडराते से काले बादलों का तेवर,
किसी अनहोनी आशंका लिए,
चांद का उदास चेहरा,
बिखरे काली के जटाओं से नजर आना,
दूर श्मशान से डरावनी आवाजों का आना,
किसी गांव का वीराने में बदलने का संदेशा,
किसी अनहोनी की आशंका से,
"दहके" हुए लोग,
इंसानी भेड़ियों का ताण्डव,
देखने का तैयार,
और अपनों से बिछड़ने का क्षण,
सोचकर कांपते हुए ये लोग,
आज की हवा का रूख,
किसी नये संदेशा की ओर,
किसी मकान से उजाला भी नजर न आना,
इशारा करती है उसी ओर,
"भूखे" बहशियों के हाथों,
मौत का इंतजार,
आज की हवा का रूख,
किसी नये संदेशा की ओर,

प्रेम सिंह बिष्ट,
नगर शाखा-प्रथम, हल्द्वानी
संगठन मंत्री
एन.ओ.आई.डब्ल्यू.
भारतीय जीवन बीमा निगम

पालने से लेकर कब्र तक ज्ञान प्राप्त करते रहो-कुरान शरीफ

फोन न. 2674357
पंजीकृत संख्या 1023

गढ़वाल मण्डल,
पंजाब नेषनल बैंक कर्मचारी वेतनभोगी ऋण
एवं
बचत सहकारी समिति लि.
93/3 द्रोणपुरी धर्मपुर देहरादून उत्तरांचल

एच.के. सकलानी
अध्यक्ष

सुन्दर सिंह पंवार
अवैतनिक सचिव

शुभकामनाओं सहित

ए.सी.ई. ग्लास कन्टेनर्स लि.
(ग्लास यूनिट)
वीरभद्र, ऋषिकेश

*
**

With Best Compliment

SUPER SERVICE STATION

Dealer:
Indian Oil Corporaton Ltd.

इण्डियन ऑयल

1-B Haridwar Road

(Opp. Distt Jail)

Dehradun - 248 001

Ph. Off. 2625391,

(R) 26226286, 2679825 (Jogiwala)

With Best Compliments from:

R.S. STEELS

(Prop. H.L. Papers Ltd.)

Regd. Office :
854 - Khalapar, Meerut Road,
Near D.M. Residence,
Muzaffarnagar, (U.P.)

Works:

D-3, D-4, UPSIDC Indus. Area
Vill. Dhalwala, Muni-ki-Reti,
Distt. Tehri Garhwal, Rishikesh
Post Box No. 43
Phones : Works 2431313,2431973
Resi. 2431039

श्री अम्बिकायै नमः

गणतंत्र दिवस

के पुण्य अवसर पर हमारी

हार्दिक

शुभकामनायें

भवन श्री कालिका माता समिति (पंजीकृत)

कालिका मार्ग, देहरादून (उत्तरांचल)

दूरभाषः 2657868, 2656221, 2711008

फैक्स : 2650730

26 जनवरी, 2003 गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक राष्ट्रीय पावन–पर्व की पुनीत बेला पर देशवासियों, क्षेत्र के
कृषकों, व्यापारियों, श्रमिक बंधुओं, मिल के
अंशधारकों एवं शुभचिंतकों को
हार्दिक शुभकामनाएं

D.S.M.

शुद्ध सफेद दानेदार एवं सर्वोत्तम चीनी के उत्पादक

डी.एस.एम.शुगर, काशीपुर

प्रधान प्रबन्धक
एस. के. भटनागर
प्रबन्ध निदेशक
अशोक कुमार गोयल
यूनिट डा एस एम. एग्रो प्रोडक्ट्स
लि., अगवानपुर
काशीपुर – 244714 ऊधमसिंह नगर, उत्तरांचल
फोन : 75036@75027, 75226, 76197
EPBX : Gram : CRYSTAL
FAX : 05947-75226

शुभकामनाओं सहित
जे. एस. राणा
संयोजक
रक्षा समन्वय संघ
(सम्बद्ध, बी.पी.एम.एस. एवं
भारतीय मजदूर संघ)
जिला–देहरादून (उत्तरांचल)
दूरभाष 2780602

आदर्श पब्लिक स्कूल
कैनाल रोड, काठगोदाम
जिला - नैनीताल
फोन २२८००७

आदर्श व्यक्तित्व निर्माण से आदर्श समाज तथा आदर्श राष्ट्र का निर्माण करना सम्भव है। आओ हम सभी इस पुनीत कार्य में जुट जायें, व्यक्तित्व के विकास के लिए आदर्श पब्लिक स्कूल प्रयासरत है।

व्यवस्थापक
हरीश चन्द पाण्डे
प्रदेश महामंत्री
स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ

शुभकामनाओं सहित
यूनियनें – जिला देहरादून/पौड़ी

1. प्रतिरक्षा भूमिका संघ, आप्टोइलेक्ट्रोनिक्स, रायपुर, देहरादून

देवदत्त आर्य	विजय रावत	मो. हामिद
(अध्यक्ष)	(महामंत्री)	(कोषाध्यक्ष)

2. रक्षा यन्त्र कर्मचारी संघ (सी. क्यू. ए. आई.) रायपुर, देहरादून

ए. के. बेनर्जी	अशोक कुमार शंकर	वी. एस. रावत
(अध्यक्ष)	(महामंत्री)	(कोषाध्यक्ष)

3. आयुध निर्माणी मजदूर संघ, रायपुर, देहरादून

चन्द्रमोहन विजल्वाण	महेश अग्रवाल	सविता शर्मा
(अध्यक्ष)	(महामंत्री)	(कोषाध्यक्ष)

4. डील कर्मचारी संघ, रायपुर रोड़, देहरादून

अनिल कुमार	ललतेश कुमार	विपिन चन्द्र
(अध्यक्ष)	(महामंत्री)	(कोषाध्यक्ष)

5. नान टीचिंग कर्मचारी संघ, जिला देहरादून

कमलेश कुमार श्रीवास्तव	अमरीश कुमार	कुलदीप कौर
(अध्यक्ष)	(मंत्री)	(कोषाध्यक्ष)

6. वन्य जीव संस्थान कर्मचारी यूनियन, चन्द्रवनी, देहरादून

खड़कसिंह भैसोड़ा	एम.एम. बाबू	रामपाल मौर्य
(अध्यक्ष)	(महामंत्री)	(कोषाध्यक्ष)

7. दून क्लब कर्मचारी यूनियन, देहरादून

भृषीराम बेलवाल	माता प्रसाद	दीवान सिंह रावत
(अध्यक्ष)	(मंत्री)	(कोषाध्यक्ष)

8. भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ उत्तरांचल परिमण्डल

के.एस. नेगी	एस.एस. चौहान	ओ.एन. शर्मा
(अध्यक्ष)	(महामंत्री)	(कोषाध्यक्ष)

उठो जागो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो

9. बी.एस.एन.एल. मजदूर संघ उत्तरांचल

नरेन्द्र अधिकारी	मोतीराम	सुनील कश्यप
(अध्यक्ष)	(महामंत्री)	(कोषाध्यक्ष)

10. टोपोग्राफिकल स्टाफ एसोसियेशन (मान्यता प्राप्त)

ए.के. चक्रवर्ती	के.एस. बंगारी	गबर सिंह
(अध्यक्ष)	(महासार्थव)	(कोषाध्यक्ष)
जे. एस ओवराय	जय सिंह	एस. नेगी
(शाखाध्यक्ष)	(शाखामंत्री)	(कोषाध्यक्ष)

11. उ.प्र. रोडवेज कर्मचारी संघ शाखा ग्रामीण डिपो देहरादून

इन्द्रपाल	रमेश चन्द्र शर्मा	जितेन्द्र कुमार
अध्यक्ष	महामंत्री	कोषाध्यक्ष

12. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कर्मचारी संघ, देहरादून

रूप सिंह राणा	अभयराम चमोली
अध्यक्ष	महामंत्री

13. हेचरी मजदूर संघ, माण्डुवाला

संजय थापा	सुरजीत सिंह
अध्यक्ष	महामंत्री

14. गीता भवन तथा परमार्थ निकेतन कर्मचारी संघ, स्वर्गाश्रम (पौड़ी)

मनोज द्विवेदी	सूर्यनाथ दुबे	रामप्रसाद बिज्लवाण
अध्यक्ष	महामंत्री	संरक्षक

हम रूके कि प्रकाश हीन हुए–बेली

शुभकामनाओं सहित
यूनियनें – जिला नैनीताल

	सम्बद्ध श्रम संघ का नाम *(जिला नैनीताल)*	अध्यक्ष	मंत्री	कोषाध्यक्ष
1.	सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपर इम्प्लाइज यूनियन,लालकुँआ नैनीताल	देवेन्द्र सिंह सिरोही	हरीश चन्द्र पाण्डे	
2.	सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपर स्टाफ एशोसियशन लालकुँआ नैनीताल	अनिल सक्सेना	कमल टुमका	राजेश नेगी
3.	सोयाबीन एवं वनस्पति कर्मचारी संघ हल्दूचौड़ नैनीताल	पूरन चन्द्र चौबे	जगदीश चन्द्र पाण्डे	मोहन चन्द्र जोशी
4.	हल्द्वानी डिविजन इन्श्योरेन्स वर्कर्स आर्गे नाइजेशन नैनीताल	आलोक टण्डन	जोधा सिंह रावत	बहादुर सिंह नेगी
5.	विद्यालय कर्मचारी यूनियन हल्द्वानी, नैनीताल	पंकज खत्री	प्रताप सिंह	बलवन्त सिंह बोरा
6.	विद्यालय कर्मचारी संघ, नैनीताल	–	हरीश प्रसाद	
7.	होटल कर्मचारी संघ, नैनीताल	पूरन चन्द्र सनवाल	भैरव दत्त जोशी	नरेन्द्र कुमार
8.	गोला खनन मजदूर संघ काठगोदाम, नैनीताल	हरि नारायण महतो	धीरेन्द्र शर्मा	विनोद सिंह
9.	उ. आंगन वाड़ी कर्मचारी संघ, नैनीताल	कु. मुन्नी चौहान	कु. दुर्गा लटवाल	श्रीमती कविता नेगी
10.	बाल विकास एवं पुष्टाहार मुख्य सेविका एवं कर्मचारी संघ उत्तरांचल	कु. बसन्ती साही	श्रीमती कमला कारेगा	कु. मंजु भटट
11.	कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ, उत्तरांचल, नैनीताल	राजेन्द्र सिंह राठौर	चन्दन गिरी गोस्वामी	चन्द्र शेखर कर्नाटक

ऊँच नीच का भेद मिटाये हम अपने कर्तव्यों से

	सम्बद्ध श्रम संघ का नाम	अध्यक्ष	मंत्री	कोषाध्यक्ष
12.	श्रमिक संघ एच.एम.टी. घड़ी कारखाना – 5 रानीबाग, नैनीताल	केवला नन्द सांगुड़ी	संजीव शुक्ल	सुरेश कुमार रावत
13.	उ.प्र. रोडवेज कर्मचारी संघ शाखा – हल्द्वानी	वी.के. वर्मा	रमेश चन्द्र कण्डिपाल	वी.सी. चौधरी
14.	उ.प्र. रोडवेज कर्मचारी संघ शाखा – हल्द्वानी	बागी राय	बी.सी. कपिल	गोपाल चन्द्र पडलिया
15.	उ.प्र. रोडवेज कर्मचारी संघ शाखा – ट्रैफिक काठगोदाम	किशन सिंह	लाल गिरि	नारायण दत्त रिखाड़ी
16.	उ.प्र. रोडवेज कर्मचारी संघ शाखा – क्षेत्रीय कार्यशाला काठगोदाम	मनोज दुर्गापाल	धर्मानन्द जोशी	के.सी. जोशी
17.	उ.प्र. रोडवेज कर्मचारी संघ शाखा – नैनीताल	विजय तिवारी	नवीन टम्टा	खीम सिंह अधिकारी
18.	उ.प्र. रोडवेज कर्मचारी संघ शाखा – भवाली	मनोज कुमार तिवारी	उमेश चन्द्र पाण्डे	

With Best Wishes from

E M O S O N S

TOOLS & DIES

D-7,Govt. Industrial Estate,
Patel Nagar, Dehra Dun-248001(Uttaranchal)
Tel. : Fac. 0135-2722025,2727960
Resi. 0135-2653047,2651614
E-mail ems_mjs@rediff.com

Manufacture of:

- Press Tool
- Import Substitute for Mechanical
- Fancy Gaes and Grill
- Jig & Fixture
- Components & Sub assemblie
- Precision Machine Component
- Steel Furniture

Our Valued Defence Custome

- M/s Opto Electronics Factory Dehra Dun
- M/s Ordnance Factory Dehra Dun
- M/s IRDE Dehra Du
- M/s Gun Carriage Factory Jabalpur

तिरूवनन्तपुरम के राष्ट्रीय अधिवेशन स्थल का दृश्य

रक्षा यंत्र कर्मचारी संघ, रायपुर देहरादून के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष श्री सुन्दरलाल उनियाल जी के साथ

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के संयुक्त वार्षिक अधिवेशन के उपरांत सहभोज का दृश्य

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का संयुक्त वार्षिक अधिवेशन रायपुर, देहरादून मेंसम्पन्न

भारतीय मजदूर संघ के 13वें राष्ट्रीय अधिवेशन, तिरूवनन्तपुरम
(22, 23, 24 फरवरी, 2002) में उत्तरांचल प्रदेश के प्रतिनिधि

शुभकामनाओं सहित

यूनियनें– जिला उधम सिंह नगर

1. चीनी श्रमिक संघ नादेही
अध्यक्ष– श्री हुकुम सिंह
महामंत्री– श्री राजाराम सिंह
कोषाध्यक्ष– कृष्णानाथ भगत

2. शक्कर कारखाना कामगार संघ काशीपुर
अध्यक्ष– सुरेन्द्र प्रसाद
महामंत्री– बाबू राम यादव
कोषाध्यक्ष– मदन गोपाल अग्रवाल

3. चीनी मिल श्रमिक संघ गदरपुर
अध्यक्ष–दशेम सिंह नेगी
महामंत्री–सुरेश चौहान
कोषाध्यक्ष–सर. निर्मल सिंह

4. चीनी श्रमिक संघ बाजपुर
अध्यक्ष– सर. जसविन्दर सिंह
महामंत्री–संजीव राम
कोषाध्यक्ष–बजरंगवली तिवारी

5. चीनी श्रमिक संघ किच्छा
अध्यक्ष– रविन्द्र नाथ त्रिपाठी
महामंत्री– हरशिण्ड पाण्डे
कोषाध्यक्ष–के.के श्रीवास्तव

6. विश्वविद्यालय कामगार संघ पंतनगर
अध्यक्ष–केदार राय
महामंत्री–एस.पी. ध्यानी

7. श्रमिक कल्याण संघ पंतनगर
अध्यक्ष–श्री कांता सिंह
महामंत्री–श्री जनार्दन सिंह

8. उत्तरांचल चीनी मिल श्रमिक संघ
अध्यक्ष– श्री बहादुर सिंह
महामंत्री– श्री बी.बी. जोशी

9. रोडवेज कर्मचारी संघ रूद्रपुर
अध्यक्ष – श्री मोहम्मदीन खां
मंत्री –श्री वी.के. शर्मा
कोषाध्यक्ष– श्रीमती प्रमिला पीटर

10. रोडवेज कर्मचारी संघ काशीपुर
अध्यक्ष–श्री खडक सिंह
मंत्री– श्री छोटे लाल शर्मा
कोषाध्यक्ष–श्री आर बी लाल

11. मजदूर कल्याण संघ
अध्यक्ष – बेरिस्टर राय
मंत्री–रामनाथ तिवारी
कोषाध्यक्ष–राम अवध

स्वालम्बन की एक झलक पर न्यौछावर कुबेर का कोष

भारतीय मज़दूर संघ के नारे

राष्ट्रभक्त मज़दूरों
देशभक्त मज़दूरों
नई जवानी केसरिया रंग
श्रम की नीति श्रम का मान
देश के हित में करेंगे काम
जब तक भूखा इंसान रहेगा
असली वेतन सबको
आटोमेशन नहीं चाहिये
देश के कोने-कोने से
उद्योगों में भागीदारी
काम का अधिकार
बी.एम.एस. की क्या पहचान
कुछ पाना है तो लड़ना होगा
मज़दूर-मज़दूर भाई-भाई
कदम मिलाकर चलना होगा
कोई कसर न बाकी छोड़ेंगे
अभी तो यह अंगडायी है
तोड़ो मत न्याय की टांग
लाल गुलामी छोड़ के
पूंजीवाद, सरकारीवाद
गलत आंकड़े तोड़ दो
आय विषमता समाप्त हो
बी.एम.एस. से दी ललकार
हमारा राष्ट्रीय श्रम दिवस
कौन बनाता हिन्दुस्तान
हम अपना अधिकार मांगते
भारतीय मज़दूर संघ

एक हो, एक हो।
एक हो, एक हो।
मज़दूरों का मज़दूर संघ।
मांग रहा मज़दूर किसान।
काम के लेंगे पूरे दाम।
धरती पर तूफान रहेगा।
मूल्यों पर नियंत्रण हो।
नहीं चाहिये, नहीं चाहिये।
मज़दूरों ने ललकारा है।
यही हमारा नारा है।
मौलिक अधिकार
त्याग, तपस्या और बलिदान।
लड़ते-लड़ते जीना होगा।
लड़कर लेंगे पाई-पाई।
असली वेतन लेना होगा।
नापाक इरादे तोडेंगे।
आगे और लड़ाई है।
पूरी करो हमारी मांग।
बोलो वन्दे मातरम्।
शोषण करते दोनों साथ।
मंहगाई वेतन जोड़ दो।
एक चार का अनुपात हो।
नही सहेंगे अत्याचार।
१७ सितम्बर विश्वकर्मा जयन्ती।
भारत का मजदूर किसान।
नहीं किसी से भीख मांगते है
अमर रहे, अमर रहे।

भारत माता की जय

दूसरों का डाला अंकुश गिराने वाला है, और अपना बनाया अंकुश उत्थानकारी है। – मोहनदास कर्मचन्द गांधी

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

हमारा ध्येय

भारतीय वन्यजीव संस्थान का ध्येय वन्य जीव विज्ञान के विकास का पोषण करना तथा कार्यक्षेत्र में उसके अनुरूप्रयोग को इस तरह से प्रोन्नत करना है, जो हमारे आर्थिक-सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप हो

लक्ष्य तथा उद्देश्य

- क्षमता का विकास तथा वन्य जीव विज्ञान में मानव संसाधनों का विकास करना।
- वन्य जीव विज्ञान के क्षेत्र में केन्द्र की स्थापना करना।
- वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में परामर्शी तथा सलाहकार सेवाएं उपलब्ध कराना।
- वन्यजीव विज्ञान तथा संरक्षण से सम्बद्ध मामलों को प्रकाश में लाना।
- वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान हेतु दक्षिणी एशिया तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में संस्थान को विकसित करना।
- वन्यजीव विज्ञान के क्षेत्र में मानद् विश्वविद्यालय के रूप विकास करना।

भारतीय वन्यजीव संस्थान

पो. बा. 18ए चन्द्रबनी, देहरादून - 248 001 (उत्तरांचल)
ई.पी.ए.बी.एक्स. : (0135) 640111 से 115, फैक्स : (0135) 640117
ई-मेल : wii@wii.gov.in, वेबसाइट : www.wii.gov.in

कम्बाइन ऑफ इंजीनियर्स

डी-3, इण्डस्ट्रियल इस्टेट, पटेलनगर
देहरादून (उत्तरांचल)

विशेषता

इलेक्ट्रोनिक्स से सम्बन्धित उच्च स्तरीय आइटम, कम्पोनेंटस, तथा डिवाइसें, विशेषकर रक्षा मंचालय की सशस्त्र सेनाओं के लिए साजो सामान के निर्माता आयुध निर्माणी एवं आप्टो इलेक्ट्रानिक्स फैक्ट्री के सामान के सप्लायर

निदेशालय

उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद

नवीन मण्डी स्थल, बरेली रोड, हल्द्वानी (नैनीताल)

मण्डी का प्रयास : उत्तरांचल का विकास

उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद द्वारा संचालित छात्रवृत्ति (स्कालरशिप) योजना का लाभ प्राप्त करें।

उत्तरांचल राज्य में स्थित गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर (ऊधमसिंहनगर) एवं आर०एम०पी० कालेज, नारसन (हरिद्वार) में कृषि विषय से अध्ययन कर रहे छात्रों को मण्डी परिषद द्वारा छात्रवृत्ति दिये जाने की योजना संचालित है। उक्त योजना का संचालन निम्न शर्तो एवं नियमों के अन्तर्गत किया जाता है।

- छात्रवृत्ति केवल कृषि विषय से अध्ययन कर रहे छात्र/छात्रा के लिए अनुमन्य होगी।
- उत्तरांचल के लघु एवं सीमान्त कृषकों, खेतिहर मजदूरों, मण्डी परिषद/समिति कर्मचारियों एवं मण्डी मजदूरों के पुत्र व पुत्रियों तथा उन पर पूर्ण आश्रित को सर्वोच्च प्राथमिकता सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अन्तर्गत छात्रवृत्ति हेतु चयन।
- उपरोक्त उल्लिखित श्रेणी के अन्तर्गत उपर्युक्त अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में न मिलने पर ग्रामीण क्षेत्र के उन परिवारों को प्राथमिकता जिनकी कुल वार्षिक आय रू० ५०,००० से अधिक नही हो, आय का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी से निर्गत होने पर मान्य होगा।
- छात्रवृत्ति हेतु छात्र/छात्रा को उत्तरांचल का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- चयनित छात्र/छात्रा को अनुवर्ती परीक्षा में असफल होने या निर्धारित ओ.जी.पी.ए. कम प्राप्त करने की दशा में छात्रवृत्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- विश्वविद्यालय में अध्ययनरत प्रति छात्र/छात्रा रू० १,००० प्रति माह एवं महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्रा को रू० ८०० प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है।
- उपरोक्त योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सुपात्र अभ्यर्थी अध्ययनरत विद्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करके अपेक्षित सूचनाओं को भरकर प्रमाण पत्रों सहित सम्बन्धित मण्डी समितियों से संस्तुति कराकर निर्धारित तिथि तक विद्यालय में प्रस्तुत करेगा। जिन क्षेत्रों में मण्डी समितियां कार्य नहीं कर रही हो उन मण्डी क्षेत्रों के छात्र/छात्रा निम्नानुसार मण्डी समिति से सम्पर्क करेंगे।

पिथौरागढ़ एवं चम्पावत के छात्र/छात्रा	मण्डी समिति खटीमा
अल्मोडा एवं बागेश्वर के छात्र/छात्रा	मण्डी समिति हल्द्वानी
चमोली एवं रूद्रप्रयाग के छात्र/छात्रा	मण्डी समिति कोटद्वार
टिहरी एवं उत्तरकाशी के छात्र/छात्रा	मण्डी समिति ऋषिकेश

योजना की विस्तृत जानकारी के लिए अपने क्षेत्र/आवंटित मण्डी समिति या उत्तरांचल मण्डी परिषद हल्द्वानी के कार्यालय से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

सुबर्द्धन
मण्डी निदेशक

पवित्रता के बिना एकाग्रता का कोई मूल्य नहीं होता। – स्वामी शिवानन्द

सेब होगा नीला, केला होगा बैंगनी

जी हां! यह पूरी तरह से सच है कि अब सेब जैसे सुर्ख गालों की उपमा नहीं दी जा सकेगी, क्योंकि अब वैज्ञानिक सब का रंग बदलकर नीला करने की दिशा में अनुसंधान कर रहे हैं। केले का रंग बैंगनी व टमाटरों का रंग पीला होने वाला है। आम के भीतर से गुठली गायब करने की दिशा में भी कवायद की जा रही है।

कृषि विज्ञान केन्द्र (तेपला) अंबाला छावनी के बागवानी विशेषज्ञ डा. देवेन्द्र चहल एवं कृषि वैज्ञानिक डा. के.पी. चौधरी ने यह चौकाने वाली जानकारी दी। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बंगलौर में 'ट्रांसजेनिक प्लान्टेशन' के जरिए फलों के रंग और जीन परिवर्तित करने की दिशा में काम चल रहा है। अंबाला के निकट गांव रायपुर रानी व कड़ासन में हल्के रंग के प्याज को गहरे रंग के प्याज में पहले ही तब्दील किया जा चुका है, मगर यह प्याज रोटी के साथ खाने लायक नहीं रह जाता।

लिहाजा ट्रांसजेनिक प्लांटेशन के जरिए इजाद होने वाली तकनीकों की सफलता भी इस बात पर निर्भर करती है कि फल की बदली गई किस्म बाद में लोगों के लिए कितनी फायदेमंद साबित होती है। इस तकनीक से अंगूर, अमरूद, नींबू और पपीते के फलों में से बीज पहले ही खत्म किये जा चुके हैं।

कैंसर के उपचार में अंगूर का उपयोग

अंगूर में न सिर्फ डायबिटीज से लड़ने के विशेष गुण होते है। कैंसर जैसे रोगों के उपचार में भी वे बेहद सहायक हो सकते हैं। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने अंगूर में उस संघटक की पहचान कर ली है जो कैंसर जैसे घातक रोग में महत्वपूर्ण प्रतिरोधी हो सकता है। हालांकि टेरोस्टिलबेन नामक यह संघटक अंगूर में पाये गये एक अन्य एंटीऑक्सिडेंट संघटक, रेसवेरेट्रॉल के समान ही है, मगर कैंसर के उपचार में यह अधिक उपयोगी हो सकता है। चूहों पर शोध के दौरान यह पाया गया है कि टेरोस्टिबेलन उनकी स्तर कोशिकाओं की उस क्षति को रोकने में कामयाब रहा, जिसका कारण सामान्यतः कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार ऐरोस्टिलबेन एवं रेसबेरेट्रॉल की कैंसररोधी गतिविधियों में काफी समानता पायी गयी है। ये दोनो संघटक उच्च एंटीऑक्सीडेंट हैं और एंटी आक्सीडेंट उन मू तत्वों तथा उन तीव्र प्रतिक्रियाशील को नष्ट कर देते हैं जिनका संबंध कैंसर के विकास से होता है। किन्तु टेरोस्टिलबेन की एक और विशेषता है जो रेसवेरेट्राल में नही पायी जाती है। टेरोस्टिलाबेन रक्त में शर्करा की मात्रा को प्रभावी रूप से कम कर सकता है। इसके अलावा रेसेबेरेट्राल तो कई दूसरे फलों में भी पाया जाता है, पर टेरोस्टिलबेन अभी तक केवल अंगूर में पाया जाता है। उनमें भी लाल एवं काले रंग वाल अंगूरों में भी इसकी मात्रा हरे अंगूरों से अधिक होती है।

यह राष्ट्र नहीं अच्छा, जिसमें होता अपमान पसीने का।

आत्मनिर्भरता की आवश्यकता

"ज्यों–ज्यों समय बीत रहा है, हमारे सामने अविलम्ब स्वालम्बन की आवश्यकता दुःखदायक रीति से अधिकाधिक स्पष्ट होती जा रही है।"

"यह स्पष्ट है कि हम विश्व बैंक के दबाव में झुक गये हैं, क्योंकि आर्थिक सहायता के लिए हम उस पर निर्भर हैं। यह उक्ति की 'भिखारी और नखरे' यहीं दशा ऋण की भी होती है और हम पर अक्षरक्षः सत्य उतर रही है– यही मूल्य है जो हम अदा करने जा रहे हैं, इस प्रमाद का कि इतने वर्षों में भी हम अपने देश को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं बना पाये। गत अठारह वर्ष से अन्न, धन और प्रत्येक वस्तु की भिक्षा मांगने की आदत ने सचमुच में हमारे पुरूषार्थ करने की भावना को सोख लिया है तथा हमें दास बना डाला है।"

"यद्यपि इस प्रकार के कठोर निर्णय से हमारे लिए कुछ तात्कालिक कठिनाइयों के उत्पन्न होने की संभावना थी, किन्तु उसके बाद अपनी आर्थिक व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के नवीन निश्चय से राष्ट्र में सुदृढ़ता आ जाती।"

"हमें यह अनुभव करना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वाधीनता और सम्मान की रक्षा के लिए सरल और छोटे उपाय नहीं हैं। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक राष्ट्र को आत्मविश्वास एवं आत्म बलिदान के कठोर मार्ग पर चलना पड़ता है।"

मा0 स0 गोलवलकर (श्री गुरूजी)

श्रमिक गीत

आओ मिल कर करें प्रतिज्ञा, भारत के सम्मान की।
फिर से वैभव हो दुनिया में, जय हो हिन्दुस्तान की।।

हम भारत के भारत अपना, भारत की सन्तानें हम।
इस पर सब कुछ अर्पण कर दें, अपना जीवन तन मन धन।।

नहीं है कोई इससे ज्यादा, कीमत अब संसार की।
फिर से वैभव हो दुनियां में, जय हो हिन्दुस्तान की।।

एक बार क्या बार-बार हम, अपना जीवन वारेंगे।
भारत मां की बलि-वेदी पर, अपना शीश उतारेंगे।।

छोड़ के सब कुछ आज लगा दें, बाजी अपने प्राण की।
फिर से वैभव हो दुनिया में, जय हो हिन्दुस्तान की।।

निर्माणों की दौड़ में हम सब, अपना मूल नहीं भूले।
जीवन में निस्वार्थ रहे हम, असमंजस में न झूलें।।

आज नहीं वह, अब करनी है प्रक्रिया निर्माण की।
फिर से वैभव हो दुनिया में, जय हो हिन्दुस्तान की।।

एक मंत्र का जाप करें हम, संघे शक्ति कलौयुगे।
मिलकर बोलें एक साथ सब, भारत की जय युगे-युगे।।

आंख मूंद कर नहीं सहेंगे, हालत अब अपमान की।
फिर से वैभव हो दुनिया में जय हो हिन्दुस्तान की।।

संभल के रहना देश द्रोहियों, टक्कर हमसे होनी है।

भारतीय मजदूर संघ

उत्तरांचल

राष्ट्र हित, उद्योग हित, श्रमिक हित

धन्यवाद ।